अंक २

संख्या ५

मंगलवार

१५ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २६३१—२६६२]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २६६२—२६७२]

(मूल्य ४ आने)

421 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

मंगलवार, १५ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूनैस्को प्रविधिक सहायता कार्यक्रम

*१७५४. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यूनैस्को प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन यूनैस्को ने सन् १९५१-५२ में भारत को कोई विशेषज्ञ देने की व्यवस्था की है ?

(ख) यदि हां तो कब तक उन के पहुंचने की संम्भावना है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी हां। यूनैस्को ने प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में काम करने के लिए १० विशेषज्ञ देना मंजूर किया है। उन में से छः तो भारत में आ भी गये हैं। शेष के बारे में बातचीत हो रही है।

सरदार हुक्म सिंह : इन विशेषज्ञों को किन किन टेकनिकल संस्थाओं में भेजा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: तीन को इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेकनालोजी, खड़गपुर में भेजा गया है, एक को लखनऊ, एक को पूना और एक को दिल्ली नैशनल फ़िज़ीकल (राष्ट्रीय भौतिक) प्रयोगशाला में भेजा गया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यूनैस्को ने हमें आवश्यक वैज्ञानिक सामान दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम ने कुछ सामान के लिए प्रार्थना की है और उस ने हमें ३०,००० डालर मूल्य का सामान देने का वचन दिया है, किन्तु यह सामान अभी तक पहुंचा नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अधीन एक वैज्ञानिक अभिलेखन केन्द्र स्थापित किया जाने वाला है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे इस के लिए पूर्वसूचना चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि कितने भारतीयों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए यूनैस्को पारिषधताएं दी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस समय इनकी संख्या नहीं बता सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि ये विशेषज्ञ किन किन देशों से लिए गये हैं और वे कितने वर्ष भारत में रहेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : इन विशेषज्ञों के साथ भिन्न भिन्न संविदा किये गये हैं

और संविदा यूनैस्को और विशेषज्ञों के बीच है, किन्तु उन में बहुत से जर्मन विशेषज्ञ हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या किसी टेकनीशन को मद्रास इंस्टीच्यूट आफ़ टेकनालोजी में भी भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्हें मद्रास इन्स्टीच्यूट आफ़ टेकनालोजी में नहीं भेजा गया ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि यूनैस्को छात्रवृत्तियां केवल उन संस्थाओं को दी जा रही हैं, जहां ये विशेषज्ञ काम करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस का कोई ज्ञान नहीं है ।

प्रविधिक सहकारी कार्यक्रम

*१७५५. **श्री बर्मन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ५ जनवरी, १९५२ के प्रविधिक सहकारी समझौते के अनुसार, टेकनिकल सहकारी कार्यक्रम के लिये इस समय कुल कितनी राशि उपलब्ध है ;

(ख) अब तक कौन कौन सी स्वीकृत परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं या अनुमोदित की गई हैं और प्रत्येक परियोजना का प्राक्कलन क्या है ; तथा

(ग) समझौते के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत प्रस्तावित केन्द्रीय समिति किस तरह गठित की गई है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). अमरीकन सरकार द्वारा कुल ५०० लाख डालर अंशदान दिया जायेगा और भारत सरकार द्वारा ४१ करोड़ रुपये दिये जायेंगे । आठ स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण ८ कार्यसंचालन करारों में देखा जा सकता है जिन की प्रतिलिपियां ११ जून, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थीं और शेष ३ स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण कार्यसंचालन करारों में देखा जा सकता है, जिन की ३ प्रतिलिपियां २५ जून, १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थीं ।

(ग) योजना आयोग को केन्द्रीय समिति के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है ।

श्री बर्मन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सामूहिक विकास परियोजना इन ग्यारह कार्यक्रमों में से एक है ?

श्री त्यागी : सामूहिक विकास इन में से एक कार्यक्रम है ।

श्री बर्मन : वर्तमान समझौते के अनुसार देश के किस भाग में ये विकास परियोजनाएं शुरू की जायेंगी ?

श्री त्यागी : वर्तमान समझौता सारे भारत पर लागू होता है । इन समझौतों के अनुसार, लगभग सारे देश में काम शुरू किया जायेगा ।

श्री बर्मन : निस्संदेह यह कार्य देश भर में किये जायेंगे, किन्तु जहां तक वर्तमान स्वीकृत विकास परियोजनाओं का सम्बन्ध है यह कार्यक्रम भारत के एक छोटे से भाग में ही होगा । मेरा प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम को सारे भारत में क्रियान्वित करने की अगली अवस्था क्या है, जहां तक भारत के शेष भागों का सम्बन्ध है, क्या कार्यक्रम पूरा करने के लिए अमरीका से सहायता मिलेगी ?

श्री त्यागी : कार्यक्रम के अनुसार जहां तक कार्य को सारे देश में प्रसारित करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि कार्यक्रम विभिन्न प्रकार

के हैं। उदाहरण के लिए कृषि के लिये लिए इस्पात आयात किया जायेगा और जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यह दिया जायेगा। टिड्डी की रोक थाम करने का सामान देने, भूमि की उर्वरता, खाद, समुद्री मीन क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में भी कार्यक्रम है। आवश्यकता और कार्यक्रम के अनुसार, स्थान स्थान पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री बर्मन : जहां तक ग्राम विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह मुख्यतः एक कृषि योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के शेष भागों में कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अमरीका से और सहायता मिल सकेगी ?

श्री त्यागी : यह सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि यह कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जायेगा और इतने शीघ्र मेरे लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि क्या यह सहायता अमेरिका से आयेगी या स्वयं उस क्षेत्र को इस स्तर पर लाया जायेगा जिस पर कि वह अपना जीवन आत्म-निर्भरता के आधार पर व्यतीत कर सके।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या समझौता संख्या ९ के अधीन मलेरिया नियंत्रण योजना चालू हो सकती है और यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मुझे खेद है कि आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य पूर्वसूचना देने की कृपा करें, तो मैं एक सविस्तार उत्तर दूंगा।

संयुक्त स्कंध समवाय

*१७५६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन संयुक्त स्कंध समवायों की संख्या, जिन्होंने पूंजी निर्गमन के लिये आवेदन दिये ;

(ख) सन् १९५१-५२ में कुल कितनी पूंजी राशि के लिये आवेदन दिये गये; और

(ग) कितनी पूंजी के निर्गमन की स्वीकृति दी गई ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). ठीक ठीक जिस रूप में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं, वह उस रूप में तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सन् १९५१-५२ में कुल ६४.३२ करोड़ रुपये की पूंजी के निर्गमन के अवेदन निपटाए गये थे। इनमें से कुल ५६.१७ करोड़ रुपये की पूंजी के निर्गमन की स्वीकृति दी गयी।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की भी रिपोर्ट यह कम्पनियां भेजती हैं कि जितनी इजाज़त उनको अपनी पूंजी के शेयर बेचने की मिलती है उस में से कितने शेयर बिक जाते हैं ?

श्री त्यागी : जी हां, इस क़िस्म की इत्तला मुहैय्या की जाती है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतला सकते हैं कि यह जो ५६ करोड़ की पूंजी के शेयर बेचने की सरकार से इन कम्पनियों को इजाज़त मिली है, इन में से कितनी कम्पनियां किस किस काम के लिये खोली गई थीं ?

श्री त्यागी : इस का नोटिस मिलने पर मैं इस की पूरी इत्तला दे सकूंगा।

सेठ गोविन्द दास : सब से बड़ी पूंजी किस कम्पनी ने चाही, क्या यह बतलाया जा सकता है ?

श्री त्यागी : अफ़सोस है कि यह इत्तला भी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

रानीखेत छावनी

*१७५७. **श्री बंसल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रानीखेत छावनी प्राधिकारियों ने छावनी भूमियों के कुछ पट्टेदारों को नोटिस दिया है जिसके द्वारा भूमि का टकीना कई गुना बढ़ा दिया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार की वृद्धि के अन्याय के विरोध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां । श्रीमान्, छावनी संहिता के पट्टों की समाप्ति पर उन को पुनः जारी करने के लिए दरें काफ़ी बढ़ा दी गई हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) रानीखेत के किरायों की नियत सारणी पर उस से मिलते जुलते अन्य असैनिक क्षेत्रों में प्रचलित किरायों के आधार पर स्थानीय समाहर्त्ता से परामर्श कर के विचार किया जा रहा है ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

श्री गोपालस्वामी : काफ़ी मामलों पर मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

*१७५८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय को 'बैल्वेडियर' में पूर्ण रूप से स्थापित किये जाने पर इसे जनता के लिए खोल दिया गया है ;

(ख) इस समय पुस्तकालय से भिन्न भिन्न प्रकार की कौन कौन सी जन सेवायें प्राप्त हो सकती हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विकास तथा प्रसार के किसी भावी कार्यक्रम पर विचार किया है ; तथा

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस पुस्तकालय में पुस्तकें लेने, पढ़ने, जानकारी प्राप्त करने और ग्रन्थ सूची सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं । पुस्तकालय सम्बन्धी मामलों पर व्यवसायिक परामर्श और पुस्तकालय नित्यक्रम का अनौपचारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

(ग) तथा (घ). सरकार इस समय पुस्तकालय को इस के नये गृह में एकत्र करने पर ही ध्यान दे रही है । इस के विकास तथा प्रसार का प्रश्न उचित समय पर उठाया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह भारत में इस प्रकार का एकमात्र पुस्तकालय है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस में आधुनिक भारतीय भाषाओं पर प्रामाणिक पुस्तकें रखने की किसी योजना पर विचार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, यह एक सुझाव है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस में भारत की मुख्य भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह होगा या केवल विशिष्ट भाषाओं की पुस्तकों का ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । संभवतः अधिक से अधिक विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के संग्रह होंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि कलकत्ता यूनीवर्सीटी द्वारा जो लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास चलाया जाता है और बंगाल लाइब्रेरी ऐसोसियेशन के द्वारा जो समर (ग्रीष्म कालीन) ट्रेनिंग क्लास वहां होते हैं उन को इस लाइब्रेरी से क्या सहायता मिलती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन ट्रेनिंग क्लासेज़ को जो सहायता इस लाइब्रेरी से मिलती है उस की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि पुस्तकों के क्रय पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

प्रविधिक शिक्षा के अध्यक्षों की संस्था

*१७५९. **श्री एस० एन० दास**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की प्रविधिक संस्थाओं के अध्यक्षों की संस्था के मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ख) इस संस्था ने प्रविधिक शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दिया है; तथा

(ग) सन् १९५१-५२ में इस की वार्षिक आय तथा व्यय क्या था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३२**]

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इस संस्था में कितने संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास ठीक ठीक संख्या तो नहीं है किन्तु इस की सूची में इस समय १३५ सदस्य हैं और प्रविधिक विज्ञान सम्बन्धी तथा वाणिज्यिक संस्थायें और प्रविधिक तथा व्यवसायिक हाई स्कूल इस संस्था के सदस्य हैं ।

श्री एस० एन० दास: प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि १९५१-५२ में कितनी गोष्टियों का आयोजन किया गया था और ये किस प्रकार की थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक गैर-सरकारी निकाय है जिस पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है । किन्तु वह अवश्य जानकारी और रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न करती है ।

श्री एस० एन० दास : यद्यपि यह संस्था सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, तथापि इसे काफ़ी अनुदान दिया जाता है, मैं जान सकता हूं कि कोई गोष्टियां की गई थीं या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : उस ने सम्मेलन किये हैं और अपनी सिफ़ारिशें और राये सरकार को भेजी हैं। परन्तु हमारे पास गोष्टियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस संस्था का व्यय इस की आय सेअधिक है क्या सरकार का इस संस्था के अनुदान को बढ़ाने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने उसे कुछ अनुदान दिये हैं और यदि वह और अनुदानों की मांग करेगी तो सरकार अवश्य इस पर विचार करेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकत हूं कि गत वर्ष सरकार ने १२००० रुपये का जो अनुदान दिया था, वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये था या टेकनिकल शिक्षा की उन्नति के सामान्य प्रयोजनों के लिये था ?

श्री के० डी० मालवीय : संस्था को सामान्य प्रयोजन के लिये अनुदान दिये जाते हैं।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को इन सम्मेलनों में व्यक्त किये विचारों से कोई लाभ हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस संस्था द्वारा आयोजित सम्मेलनों में व्यक्त किये विचारों को सरकार अवश्य ध्यान में रखती है।

नैपाल तराई सीमान्त

*१७६०. **श्री सी० एन० पी० सिंहा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार बिहार में नेपाल तराई सीमान्त पर उचित रक्षा सम्बन्धी उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : नेपाल-बिहार सीमान्त पर कोई विशेष रक्षा सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

दिल्ली राज्य में भूमि की अवाप्ति

*१७६१. **श्री राधा रमण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व और उस के दौरान में, दिल्ली राज्य में कितनी भूमि सरकार द्वारा सैनिक प्रयोजनों के लिये अवाप्त की गई थी;

(ख) इस में से कितनी भूमि का वास्तविक रूप में उपयोग किया गया था और कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी है; तथा

(ग) सरकार का अप्रयुक्त भूमि के बारे में क्या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व १२,३७४.४२१ एकड़ और इस के दौरान में १७०.६४ एकड़

(ख) ११,१८८.२०० एकड़ वास्तव में प्रयोग में लाई गई है और १,३५६.८६१ एकड़ अप्रयुक्त है।

(ग) कुछ भूमियां सरकारी प्रयोजनों के लिये रखी जा रही हैं और शेष को बेच दिया जायेगा।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि इन भूमियों को किन प्रयोजनों के लिए अवाप्त किया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : दिल्ली छावनी की भूमियों तो छावनी कार्यों के लिए अवाप्त की गई थीं। इन में से कुछ भूमियां निजी व्यक्तियों ने पट्टे पर ले रखी हैं। सेना के दखल में हुई वर्तमान भूमियों में से २३०.८५ एकड़ भूमि शिक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दी गई है। कुछ भूमियां पट्टे पर ली हुई हैं। कुछ भूमियां शिविर क्षेत्रों के लिए अवाप्त की गई हैं। इन क्षेत्रों की कुछ भूमि शिक्षा मंत्रालय को दी जा रही है।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार अवाप्त की गई भूमि में अवाप्ति के समय कृषि की जा रही थी ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने काम में न आई भूमियों को उन के असली स्वामियों को लौटा देने का निश्चय किया है ?

श्री गोपालस्वामी : जिस भूमि की सेना या अन्य विभागों को आवश्यकता नहीं है, वह वास्तविक स्वामियों को दे दी जायेगी

श्री सी० के० नायर : मैं जान सकता हूं कि इन भू-स्वामियों को सरकार द्वारा कुल कितनी क्षतिपूर्त्ति दी जानी है और इस में से कितनी दे दी गई है और कितनी शेष है ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से कोई भूमियां गृह निर्माण के लिए उपयुक्त हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का उन भूमियों को हरिजनों को देने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जाये ।

श्री गोपालस्वामी : इन में से कुछ भूमियों को दिल्ली सुधार प्रन्यास को हस्तांतरित कर देने का विचार है । वह निस्सन्देह इन्हें गृह निर्माण के काम में लायेगा ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि सरकार अप्रयुक्त भूमियों को सहकारी कृषि प्रयोजनों के लिये किसी सहकारी संस्था को लौटा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री गोपालस्वामी : प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस बात पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार बापूनगर, करोल बाग़ में एक हरिजन बस्ती के लिये स्थान लेने का है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल एक विशिष्ट सुझाव दे रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : सरकार द्वारा सैनिक कार्यों के लिये अवाप्त की गई भूमियों में से कितनी कृषि योग्य थीं और कितनी बंजर ?

श्री गोपालस्वामी : मैं पहले इस सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना लेनी पड़ेगी ।

यूनैस्को के साथ समझौता

*१७६२. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन प्रविधिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन में, यूनैस्कों के साथ किये गये पहले समझौते के अधीन प्राप्त तीन विशषज्ञों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है ;

(ख) भारत सरकार इन विशेषज्ञों को क्या पारिश्रमिक देगी ; तथा

(ग) इन विशेषज्ञों की विद्या सम्बन्धी तथा प्रविधिक योग्यता क्या है ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ़ टेकनालोजी, खड़गपुर ।

(ख) भारत सरकार द्वारा कोई पारिश्रमिक देय नहीं है किन्तु उन्हें निश्शुल्क फ़र्नीचर से सुसज्जित मकान दिये जायेंगे ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री कृष्ण चन्द्र : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उस संस्था में जहां ये विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं इन के अधिकार तथा कृत्य क्या होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : वे अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें संस्था के कर्मचारियों पर निरीक्षण का कोई अधिकार प्राप्त है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्हें कर्मचारियों पर निरीक्षण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यूनेस्को ने एक वैज्ञानिक अभिलेखन केन्द्र के लिये एक पारिषद्यता और सामान देना भी स्वीकार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान्। यनेस्कों ने सामान और एक संस्था पारिषद्यता देना स्वीकार कर लिया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्र कहां पर होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या हम इन यूनेस्को विशेषज्ञों की राष्ट्रीयता जान सकते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे उन की राष्ट्रीयता के बारे में ज्ञान नहीं है। उन में से दो संभवतः जर्मन हैं। किन्तु केवल उन के नामों से मैं यह नहीं कह सकता कि उन की राष्ट्रीयता क्या है ?

विश्व बैंक से रेलवे ऋण

*१७६३. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवेज़ के लिए विश्व बैंक से लिये हुए ३२८ लाख डालर के ऋण को किन प्रयोजनों पर व्यय करने का विचार है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : यह ऋण अमेरीका और कैनेडा से इंजन, फ़ालतू बायेलर और विविध फ़ालतू पुर्ज़े खरीदने में व्यय किया जा चुका है। हमने इसकी अदायगी भी शुरू कर दी है ।

"मानव की भावना" पर गोष्ठी

*१७६४. **श्री लोकनाथ मिश्र**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'मानव की भावना और पूर्व तथा पश्चिम में शिक्षा की विचार धारा' पर जो गोष्ठी हुई उस में भारत से किन किन विद्वानों को बुलाया गया था और उन का चुनाव किस तरह किया गया था ; तथा

(ख) इस पर कितना खर्च आया और यह खर्च किस ने किया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यनैस्को से सहयोग करने के लिये नियुक्त किये गये भारतीय राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से, यूनैस्को के महासंचालक द्वारा भारत से प्रो० ए० आर० वादिया, रास बिहारी दास, हुमायूं कबीर और ए० सी० मुखर्जी को बुलावा दिया गया था ।

(ख) भाग लेने वाले विदेशी व्यक्तियों और डा० एस० राधाकृष्णन की यात्रा और निर्वाह का खर्च युनैस्को ने उठाया था । भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों की यात्रा और निर्वाह के लिये और गोष्ठी का प्रबन्ध करने के लिए भारत सरकार ने खर्चा दिया था। भारत सरकार द्वारा कुल १४,८०० रुपया व्यय हुआ ।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या गोष्ठी ने इस विषय में कोई निश्चय किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, वाद-विवाद से पता चला है कि पूर्व और पश्चिम में एक मौलिक एकता है और इन दो विचारधाराओं में जो भेद हैं उन का समन्वय किया जा सकता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री ने गोष्ठी द्वार निश्चित शिक्षा की विचारधारा के कुछ तत्व बतलाये हैं । क्या वे 'मानव क्या है' के बारे में गोष्ठी द्वारा निश्चित रूप रेखा का वर्णन करने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी: श्रीमान्, मैं ज़ान सकता हूं कि क्या सम्मेलन ने मानव के बारे में कोई नया निश्चय किया है या यह पुरानी विचारधारा कि मानव केवल आकार में मनुष्य के सदृश एक बन्दर है अभी चली आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सब से अच्छा तरीका यह होगा कि यदि संभव हो, तो कार्यवाही पटल पर रख दी जाये ।

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास कार्यवाही नहीं है ।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

*१७६५. **श्री लोकनाथ मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज तक कोई सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य निकाला है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्था को इस प्रकार का साहित्य निकालने के सम्बन्ध में कोई निदेश या हिदायतें दी हैं या उस पर इस सम्बन्ध में कोई शर्तें लागू की हैं; तथा

(ग) प्रकाशनों के नाम क्या हैं और यह किस भाषा में लिखे गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के प्रौढ़ शिक्षा विभाग, इरादा-तालीम-ए-तरक्की द्वारा ।

(ख) जी हां। इदारा पर भारत सरकार द्वारा जो शर्तें आदि लगाई गई हैं सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाई गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) सारा साहित्य हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक जो पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं, उन के नाम सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ८, क्षनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या भारत में किन्हीं अन्य संस्थाओं को भी इस प्रकार का काम सौंपा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या जामिया मिल्लिया म कोई विशेषज्ञ सामाजिक शिक्षा योजनाओं पर काम कर रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान्।

श्री मादिया गौडा : क्या जामिया मिल्लिया द्वारा प्रकाशित साहित्य उन लोगों के लिये जोकि केवल साक्षर ही हैं, बहुत उपयोगी नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह साहित्य उन के लिये अवश्य उपयोगी है ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता कि क्या इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है और यदि हां, तो कितनी ?

श्री के० डी० मालवीय : औसतन १६ पृष्ठ की एक पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए १४०० रुपये की राशि दी जाती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस विशेषज्ञ का नाम क्या है उस की योग्यता क्या है और वह कितना वेतन ले रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, विषय भिन्न भिन्न है और मैं इन विशेषज्ञों के नाम नहीं जानता ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि कुछ सामान के लिये यूनैस्को ने जामिया को १४००० डालर की सहायता दी ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे इस का ज्ञान नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जामिया मिल्लिया में सामाजिक शिक्षा के कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो संसार के सर्वोत्तम विशेषज्ञों में से हैं ।

समवाय विधि

***१७६६. श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) समवाय विधि समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार समवाय विधि में संशोधन करने के लिये सरकार का कब आवश्यक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है; तथा

(ख) क्या सरकार ने समवाय विधि समिति की उन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये जिन के लिये किसी विधान-निर्माण की आवश्यकता नहीं है, कोई कार्यवाही की है ।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : श्री एस० एन० दास के तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैं ने ६ जून, १९५२ को कहा था कि इस प्रकार के एक व्यापक विधेयक को पुरःस्थापित करने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) इस प्रश्न पर कि क्या जिस प्रकार की सिफ़ारिशों को माननीय मंत्री सोच रहे हैं उन्हें भारतीय समवाय अधिनियम के सामान्य पुनरीक्षण से पूर्व ठीक प्रकार से लागू किया जा सकता है, प्राप्त आलोचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन की पड़ताल हो चुकने के बाद, विचार किया जाना चाहिये । प्रतिवेदन पर जो आलोचनायें प्राप्त हुई हैं, उन की अभी जांच की जा रही है ।

श्री सिंहासन सिंह : श्रीमान् भाग (ख) की ओर निर्देश करते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या एक लाख रुपये से अधिक रुपये के मामले लेने के लिए न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में समवाय विधि समिति की सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि ज़िला न्यायाधिशों को एक लाख रुपये से अधिक राशि वाले मामलों के बारे में क्षेत्राधिकार नहीं देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति वे सिफ़ारिशों की चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री त्यागी : यह प्रतिवेदन राज्य सरकारों, वाणिज्य मंडलों और संस्थाओं आदि को, उन की आलोचनाओं के लिए, परिचालित किया गया था । समिति की सिफ़ारिशों को क्रमशः क्रियान्वित करना सरकार के लिए संभव नहीं है । इरादा यह है कि जब आलोचनायें प्राप्त हो जायें और उन की जांच हो चुके तो कोई निश्चित निर्णय किया जाये । तब हम एक विधेयक को इस सदन में पुरःस्थापित करेंगे ।

अमरीका से ऋण

***१७६७. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का इस देश के विकास के लिए अमरीका की सरकार के साथ एक अग्रेतर ऋण समझौता करने का विचार है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : जी नहीं, श्रीमान् ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि जब अमरीकन राजदूत अमरीका में थे, तो उन के भाषणों से यह पता चलता था कि वे भारत सरकार के लिए अग्रेतर ऋण प्राप्त करने के लिए बात चीत कर रहे हैं ?

श्री त्यागी : इस समय इस देश के विकास के लिए अमेरिका की सरकार के साथ कोई ऋण सम्बन्धी समझौता करने का हमारा कोई विचार नहीं । पिछला प्रश्न उन अनुदानों के बारे में था, जो कि अमरीकन सरकार ने देश के विकास के लिए दिए थे । मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि वह कोई ऋण नहीं था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार को विदित है कि जब अमेरिकन राजदूत अपने देश में थे, तो उन के भाषणों से पता चलता था कि वे भारत सरकार के लिए अग्रेतर ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ?

श्री त्यागी : मैं ने ऐसा कोई भाषण नहीं पढ़ा जिस में उन्होंने भारत को ऋण देने के पक्ष में कहा हो ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या माननीय सदस्य कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मंत्री जी को विदित है कि हाल में अमरीका में एक भाषण दिया गया था कि अब तक अमरीका द्वारा भारत को जो सहायता दी गई है, वह पर्याप्त नहीं है, अतः राजदूत ने अमेरिका से अधिक ऋण देने के लिए अनुरोध किया था ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, यह अमरीकन राजनीति का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें

*१७६८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, सन् १९५०-५१ और सन् १९५१-५२ में यदि कोई रुपया खर्च किया गया है तो वह कितना है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत सरकार ने समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली सस्थाओं को अनुदान दिये हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने सन् १९५०-५१ में ३७,२७६ रुपये के अनुदान दिये और सन् १९५१-५२ में १०,००० रुपये के अनुदान दिये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि सन् १९५१-५२ में यह कमी क्यों हुई ?

श्री के० डी० मालवीय : क्योंकि सरकार के पास कोई विशेष मांग नहीं थी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए सहायता के बहुत से प्रार्थना पत्रों पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं जानता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि रूस ने एक भारतीय वाली बाल टीम को मास्को के एक टूर्नामेंट में भाग लेने का निमंत्रण दिया है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस टीम को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार करती है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे तो यह जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने इंगलैंड जाने वाली वर्तमान क्रिकेट टीम को और हैल्सिकी की ओलिम्पिक मीट (प्रतियोगिता) के लिए कोई अनुदान दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय: सरकार ने गत वर्ष हैल्सिकी जाने वाली टीम को कुछ धन अवश्य दिया था परन्तु इस वर्ष क्रिकेट टीम को कोई अंशदान नहीं दिया गया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रतीत होता है कि मेरे युवक सहयोगी को अन्तिम स्थिति का ज्ञान नहीं है । सरकार ने यहां से हैल्सिकी जाने वाली टीम को १-१/४ लाख रुपया दिया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सरकार भारत में खेलों के आयोजन में कोई रूचि लेती है और यदि हां, तो किस निकाय या संस्था द्वारा, ताकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सके ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न बहुत अस्पष्ट और सामान्य है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू: मुख्य संस्था अखिल भारतीय ओलिम्पिक संस्था है जिस का सम्बन्ध इस प्रकार के विषयों से है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि इस बात का ध्यान रखने के लिए, कि हमारी टीमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पीछे न रहें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब अल्प सूचना प्रश्नों को लेना चाहिये । प्रश्न सूची समाप्त हो चुकी है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कोसी नदी में बाढ़

१२६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक सप्ताह से कोसी नदी में असाधारण तेज़ी की बाढ़ आई हुई है, जिस के फलस्वरूप यातायात तथा संचरण के सब साधन छिन्न भिन्न हो गये हैं और परिमाप तथा जांच के वे कार्य, जो कि नदी को वश में करने के लिए सरकार ने बेलका बांध योजना को शुरू करने के लिए किये थे, अस्त व्यस्त हो गये हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : १० जुलाई, १९५२ को कोसी का बहाव बाराह क्षेत्र पर २००,००० क्यूसेक तक पहुंच गया था और अब कम हो रहा है । यह केवल मध्यम श्रेणी की बाढ़ है । साधारणतया इस तेज़ी की बाढ़ से यातायात साधनों में बाधा बढ़ जाती है और ऐसा कोसी क्षेत्र में प्राय: हर वर्ष ही होता है । बेलका बांध पर परिमाप कार्य और परीक्षणार्थ खुदाई का कार्य ९ जुलाई को बाढ़ आने से पहले भारी वर्षा के कारण १ जुलाई को ही स्थगित कर दिया गया था और अक्तूबर में पुन: जारी कर दिया जायेगा । नहरों पर परिमाप का कार्य वर्षा के कारण धीमा कर दिया गया है परन्तु अक्तूबर से इसे फिर तेज़ कर दिया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को विदित है कि इस नदी में इस प्रकार की बाढ़ें हर वर्ष आती हैं ?

श्री त्यागी : मैं ने पहले ही कहा है कि ये बाढ़ प्राय: प्रत्येक वर्ष आती है । बांध का निर्माण कार्य और अन्य बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें केवल इसी कारण वहां पर प्रारम्भ की गई हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार यह बतलाने की स्थिति में है कि बाढ़ के फलस्वरूप इस वर्ष पटसन तथा धान की कितनी एकड़ फ़सलें नष्ट हो गई हैं ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को विदित है कि हाल के वर्षों में बाढ़ की तेज़ी बढ़ गई है और सहरसा तथा दरभंगा के नये क्षेत्रों में पानी फैल गया है?

श्री त्यागी : पिछले कुछ वर्षों में की गई जांच से पता चलता है कि बाढ़ का बहाव इन आंकड़ों तक पहुंच गया था :

१९४७	३,१२००० क्यूसेक
१९४८	४,७८,००० ,,
१९४९	३,७९,००० ,,
१९५०	३१,४,००० ,,

गत वर्ष यह केवल २,५६,००० क्यूसेक था।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार कृपया यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कोसी से देश को प्रति वर्ष ४ करोड़ से ५ करोड़ रुपये तक की हानि होती है ?

श्री त्यागी : मैं नहीं कह सकता कि ठीक ठीक आंकड़ा क्या है किन्तु सरकार इस बात को जानती है और उसको इस का दुःख है।

श्री एल० एन० मिश्र : प्रति वर्ष कोसी द्वारा होने वाले अत्यधिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का इस योजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है ?

श्री त्यागी : योजना प्रारम्भ कर दी गई है और जांच की जा रही है। वास्तव में कोसी परियोजना की जांच सन् १९४६ में शुरू हो गई थी। अन्तिम जांच करने के लिए अब एक समिति नियुक्त कर दी गई है। एक परियोजना समिति के परीक्षाधीन है। विभिन्न अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उन की परीक्षा भी हो चुकी है और काम हाथ में ले लिया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि उस परामर्शदात्री समिति की सिफ़ारिशों के बारे में, जिस की ओर माननीय मंत्री ने अभी निर्देश किया है, सरकार का निर्णय क्या है ?

श्री त्यागी : समिति की सिफ़ारिश यह है कि नेपाल में बाराह क्षेत्र के स्थान पर ६९ लाख एकड़ फुट पानी का तालाब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाये जिस में से ३१·० लाख एकड़ फुट मिट्टी की तह सुरक्षित रखने के लिए संग्रहित किया जायेगा। शेष ३८.० लाख एकड़ फुट बाढ़ को विनियमित करने के लिए बाढ़ रोकने का साधन बनेगा और १८·० किलोवाट की अनुमानित जलविद्युत् शक्ति पैदा करने के लिए होगा :। एक और सिफ़ारिश यह है कि नैपाल के छत्र के स्थान पर एक बांध और नैपाल में ५·२ लाख एकड़ और बिहार में ३३·२ लाख एकड़ भूमि सींचने के लिए तथा पूर्वी नहर से ९०००० किलोवाट जलविद्युत् पैदा करने के लिए नहरें बनाने के सम्बन्ध में थी। और भी बहुत सी सिफ़ारिशें हैं। यदि मेरे मित्र रुचि रखते हैं, तो मैं उन्हें ये सिफ़ारिशें दिखा सकता हूं।

श्री एल० एन० मिश्र : बेलका बांध के बनने तक, क्या सरकार का उस क्षेत्र में कुछ अल्प कालीन सहायता कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

श्री त्यागी : इस प्रकार के विस्तृत प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। जैसा कि मैं ने कहा है मेरे माननीय मित्र मेरे कमरे में मुझे मिल सकते और जो ब्योरा वह चाहते हैं, मैं उन्हें बतला दूंगा।

श्री भगवत झा : मैं जान सकता हूं कि विनियोग तथा राजस्व के दृष्टिकोण से कोसी परियोजना की तुलना दक्षिण की कुछ परियोजनाओं से की जा रही है ?

श्री त्यागी : यदि 'तुलना करना' से, मेरे माननीय मित्र का निर्देश निर्माण की ओरहै, तो मैं कहूंगा कि जहां तक कार्य के निर्माण की पटुता का सम्बन्ध है, हम अवश्य एक परियोजना की तुलना दूसरी से करते हैं।

विनियोग के सम्बन्ध में, एक परियोजना की तुलना दूसरी परियोजना से करना असंभव है क्योंकि प्रत्येक परियोजना पर उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही पूंजी लगानी पड़ती है।

श्री भगवत झा : मैं जानना चाहता था कि क्या लोगों को होने वाले कष्टों और कोसी नदी द्वारा होने वाली हानि पर उचित ध्यान दिये बिना, सरकार, लागत और भावी राजस्व को ध्यान में रख कर इस योजना की तुलना अन्य योजनाओं से कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या पहले उत्तर में यह बात नहीं आ जाती ?

श्री डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि बाढ़ के बाद मलेरिया फैल जाता है और बहुत सा जानी नुकसान होता है ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने कहा है सरकार को इन बातों का दुःख है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सही है कि यह डैम दुनिया का सब से ऊंचा डैम होगा। इस के व्यय का तख़मीना क्या है ?

श्री त्यागी : जहां तक इसकी ऊंचाई का ताल्लुक है इस में कोई शक नहीं कि यह डैम दुनिया के सब से ऊंचे डैमों में से एक होगा। इस के तख़मीने की बाबत मैं अभी सही फ़िगर्स (आंकड़े) नहीं दे सकूंगा। क्योंकि अभी कुछ तबदीलियों की सिफ़ारिश हुई है और उन तबदीलियों का फिर से मिलान करने के बाद फैसला किया जा सकेगा कि इस में पूरा रुपया कितना खर्च होगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है ?

श्री त्यागी : एक परामर्शदात्री समिति इस परियोजना के सम्बन्ध में की गई सिफ़ारिशों की जांच कर रही है और स्थान पर खुदाई मिट्टी के परीक्षण आदि के सम्बन्ध में, कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं। वास्तव में यह कार्य पहले से हो रहा था और वर्षा होने के कारण इसे बन्द करना पड़ा था। यह कार्य शीघ्र पुनः शुरू कर दिया जायेगा और फिर सरकार निर्णय कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला अल्पसूचना प्रश्न लेते हैं।

कोयला

१२७ श्री जी० डी० सोमानी : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से जून, १९५२ तक की अवधि में कोयले के परिवहन के लिये पश्चिमी बंगाल और बिहार में कोयले की खानों को औसतन कितने डब्बे दिये गये;

(ख) क्या यह सत्य है कि डब्बों का प्रदाय कुल आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है और खानों के सिरों पर इतना कोयला इकट्ठा हो गया है कि यदि डब्बों की संख्या आवश्यकताओं के अनुसार न बढ़ाई गई, तो उत्पादन नें बहुत कमी करनी पड़ेगी ;

(ग) क्या डब्बों के अपर्याप्त प्रदाय के सम्बन्ध में सरकार को अन्य विभिन्न उद्योगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) निकट भविष्य में डब्बों के प्रदाय की स्थिति कब और किस हद तक सुधर जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जनवरी से जून, १९५२ तक के काल में पश्चिमी बंगाल/बिहार की खानों से प्रतिदिन का औसत लदान इस प्रकार था :

जनवरी	२,९३९ डब्बे
फरवरी	३,०४४ डब्बे
मार्च	२,९९७ डब्बे
अप्रैल .	३,०६७ डब्बे
मई .	३,०३७ डब्बे
जून .	३,०१२ डब्बे

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, कोयले के परिवहन के लिए डब्बों की कमी के बारे में अन्य उद्योगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) एक वर्ष की अवधि में भारतीय रेलवेज़ में लगभग ३,००० डब्बों की वृद्धि हो जाने की संभावना है। कोयला परिवहन उद्योग को भी इस सुधरी हुई स्थिति से अवश्य समुचित लाभ होगा ।

श्री जी० डी० सोमानी: मैं पूछ सकता हूं कि ३१ दिसम्बर, १९५१ को कोयले का संग्रह कितना था और ३० जून, १९५२ को तुल्नात्मक रूप से यह संग्रह कितना था ?

श्री के० सी० रेड्डी : ३१ दिसम्बर को संग्रह २०,९६,६१७ टन था ? मई, १९५२ के अन्त में, संग्रह ३,०३,८६,२१४ टन था ।

श्री जी० डी० सोमानी: क्या यह सत्य है कि डब्बों के अपर्याप्त प्रदाय के कारण उत्पादन में कमी कर दिये जाने के फलस्वरूप लगभग ५०,००० मज़दूर छंटनी में लाये जा चुके हैं या उन के छटनी में लाये जाने की संभावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं इस विषय पर कोई निश्चित जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री जी० डी० सोमानी: मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवेज़ की संचालन क्षमता में सुधार करने से कोयले के प्रदाय के लिए डब्बों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे माननीय सहयोगी रेल मंत्री ही दे सकते हैं।

श्री बी० के० दास: खानों के सिरों पर प्रायः कितना संग्रह होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह संग्रह प्रति मास बदलता रहता है ।

श्री बी० के० दास: क्या इस सम्बन्ध में मैं कुछ जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं आप को आंकड़े बतलाता हूं । जनवरी के अन्त में यह २० लाख टन से कुछ अधिक था । फरवरी के अन्त में यह २,६०८,९५६ टन था। मार्च के अन्त में यह २,८९३,७५३ टन था और अप्रैल के अन्त में ३,२०१,३४० टन था। मई के सम्बन्ध में, मैं पहले बतला चुका हूं ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं पश्चिमी बंगाल में कोयला ले जाने के लिए उस राज्य की डब्बों की आवश्यकता कितनी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता पृथक रूप से नहीं बतला सकता किन्तु कोयले के परिवहन के लिए कुल ३,५०० डब्बों की आवश्यकता है ।

श्री बी० के० दास : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि पश्चिमी बंगाल के रसद मंत्री ने एक प्रेस भेंट में कहा था कि पश्चिमी बंगाल में कोयला ले जाने के लिए प्रति दिन ९० डब्बों की आवश्यकता है किन्तु वास्तव में केवल ५१ डब्बे प्रदाय किये जा रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: ऐसा हो सकता है किन्तु में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह कोयला किस हद तक अधिक उत्पादन के कारण इकट्ठा हुआ है और किस हद तक परिवहन के लिए डब्बों की कमी के कारण ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह केवल अधिक उत्पादन के कारण इकट्ठा हुआ है । उपलब्ध किये जाने वाले डब्बों की संख्या में संतोषजनक सुधार हो रहा है । वास्तव में सन् १९५१ में डब्बों के प्रदाय की स्थिति सन् १९५० की स्थिति से अच्छी थी और इस वर्ष के पहले छः मासों में स्थिति पिछले वर्ष के तत्स्थानी छः मासों की स्थिति से अच्छी थी ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि यातायात की इस बाधा का हाल के रेलों के पुनर्वगीकरण से कोई सम्बन्ध है ?

श्री के० सी० रेड्डी : बिल्कुल नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : प्रति मास परिवहन के लिए कितने डब्बे उपलब्ध होते हैं और वास्तव में आवश्यकता कितने डब्बों की होती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बी० के० दास : कोयले के परिवहन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच डब्बों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : आधार यह है विभिन्न राज्य उद्योग अपने लिए अमुक डब्बे मंगाते हैं ; कोयला आयुक्त सारी स्थिति का अध्ययन करते हैं और फिर प्रत्येक उद्योग को डब्बे आवंटित करते हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि पश्चिमी बंगाल को कोयले के सम्बन्ध में गत कुछ मासों में स्थिति बिगड़ गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं, श्रीमान् मुझे यह विदित नहीं है । जहां तक डब्बों के प्रदाय का सम्बन्ध है, स्थिति नहीं बिगड़ी किन्तु यदि माननीय सदस्य उत्पादन के सम्बन्ध में प्रदाय की स्थिति जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यह सूचना दूंगा कि यह स्थिति कुछ बिगड़ गई है ।

श्री हेडा : क्या यह सत्य है कि हैदराबाद में एक फ़ैक्टरी को, इस बात के बावजूद कि इस ने गत तीन मासों में कई अभ्यावेदन किये, एक भी डब्बा नहीं मिला, यद्यपि प्रदाय करने वाली खान उसी रेलवे लाइन पर ६ घंटों की यात्रा दूरी पर है और इसके फलस्वरूप ६,००० मज़दूर बेकार हो गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री वी० एस० मूर्ति : : क्या माननीय मंत्री हमें बतला सकते हैं कि क्या निकट भविष्य में डब्बों के प्रदाय में वृद्धि हो जायेगी ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छावनी पर्षदों को सहायता

४१५. श्री एन० एल० जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व के चार वर्षों में और सन् १९५२ तक के पश्चाद्वर्ती वर्षों में केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा भारत के विभिन्न छावनी पर्षदों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं ।

[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६]

रियासती सेनाओं के कर्मचारी

४१६. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन रियासती सेनाओं के कर्मचारियों को, जिन्हें नियमित भारतीय सेना में नहीं खपाया जा सका था, कोई सुविधायें दी गई थीं और यदि हां तो क्या; तथा

(ख) क्या इन में से किन्हीं को पंजाब में भूमि दे कर बसाया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : उन रियासती सेनाओं के कर्मचारियों को जिन्हें भारतीय सेना में नहीं खपाया जा सका था, ये सुविधाएं दी गई थीं :

(१) सरकारी/निजी नौकरी

(२) व्यवसायिक/टेकनिकल प्रशिक्षण

(३) सहकारी बस्तियों में वैयक्तिक आधार पर भूमि पर बसाना। एक विवरण जिस में दी गई सहायता का वर्णन किया गया है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ख) जी नहीं।

कार्डाइट फैक्टरियां

४१७. **श्री गणपति राम:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की सब कार्डाइट फैक्टरियों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के मज़दूरों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उन के काम के प्रकार अनुसार उन की मजदूरी तथा भत्तों की शर्तें क्या हैं ; तथा

(ग) क्या राज्य कर्मचारी भविष्य-निधि अध्यादेश उन पर लागू होता है और यदि हां, तो उन्हें तथा उन के परिवारों को अन्य क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) भारत में कार्डाइट की केवल एक फ़ैक्टरी है और उसमें १,४८६ मज़दूर काम करते हैं।

(ख) वहां कई प्रकार के काम होते हैं और प्रत्येक काम के लिए भिन्न भिन्न वेतन मिलता है। वेतन श्रेणियां केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि अध्यादेश कार्डाइट फ़ैक्टरियों के मज़दूरों पर लागू नहीं होता है। किन्तु वे भारतीय युद्धास्त्र फैक्टरी मज़दूर भविष्य निधि में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

अनुसूचित बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

४१८. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **वित्त** मंत्री वे शर्तें बतलाने की कृपा करेंगे जिन के अनुसार निम्न चीज़ों पर अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन दिये जाते हैं —

(१) सोना—चांदी,
(२) सूत और कपड़ा,
(३) खाद्यान्न,
(४) तिलहन,
(५) संयुक्त स्कंध समवायों के अंश,
(६) गुड़ और चीनी,
(७) लदान-पत्रक (बिल आफ़ लेडिंग) ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): वे शर्तें जिन के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर, अनुसूचित बैंकों द्वारा अग्रिम धन दिये जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और प्रत्येक बैंक और ग्राहक के लिये भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ बड़े बड़े बैंकों द्वारा सूद की जो दरें ली जाती हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर दिये गये अग्रिम

धनों के सम्बन्ध में जो अन्तर रखे जाते हैं वे इस प्रकार हैं :

	अन्तर	सूद की दर
	प्रति शत	प्रतिशत
(१) सोना चांदी	१०–३०%	४—४ १/२%
(२) सूत और कपड़ा	१०–३०%	३ १/२%—५ १/२%
(३) खाद्यान्न	२०–३५%	४ १/२%—६ १/२%
(४) तिलहन	२५–४०%	४ १/२%—६ १/२%
(५) संयुक्त स्कन्ध समवायों के अंश	४०–५०%	१/२—५%
(६) गुड़ और चीनी	२५–३५%	४%—६%
(७) लदान-पत्रक	—अन्तर तथा दरें भिन्न भिन्न होती हैं और लदान-पत्रक की वस्तु आयात-कर्ता/निर्यात-कर्त्ता की प्रतिष्ठा आदि पर निर्भर करती हैं।	

विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों को प्रविधिक प्रशिक्षण

१९. **श्री विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीयों की (राज्यवार) संख्या क्या है ?

(ख) सन् १९५०-५१, १९५१-५२ में इस प्रकार के प्रशिक्षण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है और सन् १९५२-५३ में कितना धन व्यय किये जाने की सम्भावना है; तथा

(ग) क्या किन्हीं विदेशों द्वारा इस के हेतु कोई धन व्यय किया गया है या किया जाना है और इस सहायता की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग). जानकारी देने वाला एक विवरण संदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३८**]

रानीखेत के छावनी वन

४२०. **श्री बंसल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रानीखेत में छावनी वन एक ऐसा स्थान है जहां शिकार खेलना मना है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि सैनिक कर्मचारी इस में शिकार खेलते रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो शिकार खेलने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) किसी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

रानीखेत छावनी

४२१. **श्री बंसल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बन तथा छावनी उपविधियों के विरुद्ध रानीखेत के छावनी क्षेत्र में कुछ वृक्ष आधे या पूरे काट लिये गये हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह वृक्ष मुख्यतः सैनिक कर्मचारियों के अहातों से काटे गये हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि इस विनाश के और रानीखेत की प्राकृतिक सुन्दरता को बिगाड़ने के ज़िम्मेदार हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी बीमा कम्पनियां

४२२. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष

(१) सामान्य बीमा;

(२) समुद्री बीमा; तथा

(३) जीवन बीमा के सम्बन्ध में भारत द्वारा सब विदेशी बीमा कम्पनियों को कुल कितना बीमा अधिशुल्क दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : सन् १९५१ के बीमा अधिशुल्क के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेखा विवरण जिन के साथ यह जानकारी विदेशी बीमा कम्पनियों द्वारा भेजी जाती है ३० सितम्बर १९५२ से पूर्व बीमा नियन्त्रक को प्राप्त नहीं होंगे।

निर्वाचनों में न मिटने वाली स्याही का प्रयोग

४२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले साधारण निर्वाचनों में निर्वाचकों के बायें हाथ की तर्जनी की छाप लेने के लिये कितनी न मिटने वाली स्याही खरीदी गई और इस का मूल्य क्या था ?

(ख) उन फ़र्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस विशेष प्रकार की स्याही का सम्भरण किया था; तथा

(ग) क्या इस स्याही के प्रकार के बारे में कोई शिक़ायतें प्राप्त हुई थीं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्सू) : (क) पिछले साधारण निर्वाचनों के लिये लगभग १८४,४०० रुपये की लागत से ५ सी०सी० वाली न मिटने वाली स्याही की ३१६,००० बोतलें ख़रीदी गई थीं।

(ख) यह स्याही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसन्धान उपयोग परियोजना में तैयार की गई थी।

(ग) इस बात के बारे में कि स्याही का निशान जल्दी मिट जाता है निर्वाचन आयोग को कुछ शिक़ायतें प्राप्त हुई थीं, किन्तु यह देखा गया था कि सिवाय उन थोड़े से व्यक्तियों के मामले में, जिन की चमड़ी असाधारण रूप से सख़्त थी इस स्याही का धब्बा यदि ठीक तरह से लगाया गया हो, तो इस प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता था। किसी ख़ुरदरी चीज़ के साथ बहुत ज़ोर से रगड़ने से चमड़ी की सब ऊपरी तहें उतर जाती हैं और धब्बा थोड़ी देर के बाद फिर प्रकट हो जाता है।

मैसूर के स्मारक

४२४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर में किन स्मारकों और स्थानों को 'राष्ट्रीय' घोषित किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : माननीय सदस्य का ध्यान प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की उद्घोषणा) अधिनियम, १९५१ से संलग्न सूची, भाग १ और २ की ओर दिलाया जाता है, जिसकी एक प्रतिलिपि संसद् पुस्तकालय में मिल सकती है।

असैनिक स्कूल मास्टर

४२५. **श्री अजीत सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) कितने असैनिक स्कूल मास्टर रक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे हैं ;

(ख) रक्षा सेवाओं में असैनिक स्कूल मास्टरों की भर्ती का क्या तरीक़ा है ;

(ग) असैनिक स्कूल मास्टर के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ; तथा

(घ) क्या इन्हें भारत के बाहर नियुक्त किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ४१७ ।

(ख) इन्हें एरिया प्रधान कार्यालय में चुनाव पर्षदों द्वारा चुना जाता है । चुने गये उम्मेदवारों की सूचियों की जांच कमान प्रधान कार्यालय और अन्त में सेना प्रधान कार्यालय में की जाती है ।

(ग) आवश्यक कम से कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र या उस के बराबर कोई मान्य योग्यता ।

(घ) जी नहीं ।

औद्योगिक वित्त निगम

४२६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में औद्योगिक वित्त निगम ने किन विभिन्न उद्योगों को ऋणों की मंजूरी दी ;

(ख) पूंजी विनियोग कितना था और प्रत्येक उद्योग को कितना ऋण प्राप्त हुआ ; तथा

(घ) इस निगम पर और उन उद्योगों पर, जिन्हे ऋण दिये गये हैं, सरकार का किस हद तक नियंत्रण है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ग) सब मामलों में शर्तें लगभग एक ही हैं । उन में केवल प्रस्तुत प्रतिभूति के प्रकार तथा मूल्य, प्रबन्धकों के अनुभव तथा प्रतिष्ठा और सम्बन्धित उद्योग की क़िस्म के अनुसार कुछ परिवर्तन किये जाते हैं ।

(घ) सरकार निगम पर इस प्रकार से नियंत्रण रखती है :—

(१) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ की धारा १० (क) के अन्तर्गत निगम पर्षद् में तीन संचालकों को मनोनीत करती हैं ; (२) धारा १५ के अन्तर्गत संचालक पर्षद् के अध्यक्ष के मनोनयन को अनुमोदित करने और अधिनियम की धारा १० (च) और ९ (घ) के अन्तर्गत प्रबन्ध संचालक को नियुक्त करने और उस का पारिश्रमिक निश्चित करने का अधिकार अपने पास रखती है ; (३) अधिनियम की धारा ३४ के अन्तर्गत निगम के लिये लेखा परीक्षक नियुक्त करती है ; (४) अधिनियम की धारा ४३ के अनुसार बनाये जाने वाले सब विनियमों के सम्बन्ध में निगम को केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है; (५) अधिनियम की धारा ४२ के अनुसार निगम चलाने और नीति सम्बन्धी निदेश जारी करने का अधिकार अपने पास रखती है ; और (६) अधिनियम की धारा ३५(३) के अनुसार सदन के समक्ष रखे जाने वाले अर्ध-वार्षिक लेखे निगम को सरकार के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं ।

सरकार उद्योगों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखती है ।

केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान विद्यालय

४२७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसन्धान विद्यालय द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य के उन परिणामों को, जो सफल सिद्ध होते हैं, जनता के हित के लिये प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : यह संस्था अनुसन्धान कार्य के परिणामों के सम्बन्ध में, हिन्दी, तामिल तथा कन्नड में लेख प्रकाशित करती है । यह संस्था अंग्रेजी में अर्ध-प्रविधिक पत्रक तथा पुस्तिकायें भी तैयार और प्रकाशित करती है और उस ने विभिन्न राज्यों के सरकारी विभागों को इन्हें विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित करने के लिये कहा है । उत्तर प्रदेश और हैदराबाद की सरकारों ने यह काम करना स्वीकार कर लिया है ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१५ जुलाई, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १५ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

आसाम में बाढ़ से हुई तबाही

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्य श्री अमजद अली से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसका अभिप्राय आसाम में हाल की बाढ़ों द्वारा उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना है । मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाना उस समय तक लम्बित रखना चाहता हूं जब तक उन्हीं माननीय सदस्य के इसी विषय से सम्बन्ध रखने वाले अल्पसूचना प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी न उपलब्ध हो जाये ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : इस अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर कब दिया जायेगा ? मेरा निवेदन है कि उसका उत्तर शीघ्र दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: अल्पसूचना प्रश्न कल प्राप्त हुए थे और मैं ने श्री अमजद अली का प्रश्न आज प्रातः स्वीकार कर लिया है । मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय उत्तर देने में शीघ्रता करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

जनाब अमज़द अली (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां) : जनता में इस कारण बड़ा क्षोभ है । यदि माननीय संचरण मंत्री इस सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी दे दें तो इससे जनता को बहुत संतोष होने की सम्भावना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस समय कुछ बात बतला सकते हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवनराम) : कुछ अधिक तो मैं बतलाने की स्थिति में नहीं हूं । हां, मैं ने स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है । कुछ क्षेत्रों में रेल-लाइनें तक बह गई हैं और उनके साथ साथ तार के खम्भे भी । इसके परिणामस्वरूप वहां संचार-व्यवस्था ही भंग हो गई है । संचार-व्यवस्था को जल्दी से जल्दी पुनः स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । निस्सन्देह, 'बेतार के तार' की व्यवस्था चालू है । हम यह नहीं कह सकते कि सब संचार-साधन समाप्त हो गये हैं । इन 'बेतार के तार' केन्द्रों में जनता के तार भी लिये जा रहे हैं । कुछ संचार-व्यवस्था तो क़ायम है और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही सम्पूर्ण संचार-व्यवस्था पूर्ववत् क़ायम कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर देंगे ।

समिति का चुनाव

दिल्ली विश्वविद्यालय संसद् (कोर्ट)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय संसद् की सदस्यता के लिये नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त होने के निश्चित समय तक तीन नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे । बाद में एक अभ्यर्थी ने अपना नामनिर्देशन-पत्र वापस लौटा लिया । क्योंकि शेष अभ्यर्थी उतने ही रह गये जितनी कि समिति में रिक्तियां हैं, अतः मैं इन सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं :

१. श्री राधा रमण
२. श्रीमती सुचेता कृपलानी

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ के सम्बन्ध में ३८८ प्रार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित ६५ याचिकायें प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति

श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी संबंधी रिपोर्ट के उपस्थापन की समयावधि में वृद्धि

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "श्री दशरथ देब, संसद् सदस्य, की गिरफ़्तारी में सन्निहित विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति द्वारा रिपोर्ट के उपस्थापन की समयावधि २३ जुलाई, १९५२ तक बढ़ा दी जाये ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय चाय पर्षद (शोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय चाय पर्षद् अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर सशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंडविधि (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन भारतीय दंड विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८, को अग्रेतर संशोधित करने वाले तथा कुछ अपराधों के लिये अधिक तेजी से मुक़दमा चलाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

कल सदन ने खण्ड २ निबटा दिया था । अब हम खण्ड ३ तथा उससे आगे के खण्डों पर विचार करेंगे ।

खण्ड ३—(नई धारा १६५ क का निवेश)

अध्यक्ष महोदय : श्री चाको का संशोधन नियम विरुद्ध है । यदि वह चाहें तो खण्ड के विरुद्ध मत दे सकते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "खण्ड ३ बिधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५—(धारा ३३७ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय: श्री चाको का संशोधन नियम विरुद्ध है; यदि वह चाहें तो उन्हें बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २५, में शब्द "inserted" ["निविष्ट"] के पश्चात् यह जोड़ा जाये--

'and after the figures "435" the figures "465, 466, 468, 471" shall be inserted.'

['और अंक "४३५" के पश्चात् अक "४६५, ४६६, ४६८, ४७१" निविष्ट किये जायेंगे ।']

मैं दण्ड प्रणाली संहिता की धारा ३३७ में ये धारायें जुड़वाना चाहता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : मेरे विचार से संशोधन विधेयक के क्षेत्र के बाहर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इसकी उस दृष्टि से जांच नहीं की है ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि अंक "४३५" विधेयक में आया है या नहीं ?

श्री एम० एल० अग्रवाल : यह मूल अधिनियम की धारा में है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे तो शब्दों में थोड़ा सा अन्तर आता है ; अतः इसके प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु डा० देशमुख द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि ये धारायें—संख्या ४६५, ४६६ आदि—किन चीज़ों से सम्बन्ध रखती हैं ।

डा० काटजू: ये धारायें तो 'जाल-साज़ी' के सम्बन्ध में हैं । इनका रिश्वत लेने या रिश्वत देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो मैं समझता हूं कि मुझे डा० देशमुख द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न को मानना ही होगा । अतएव यह संशोधन मैं नहीं रख रहा हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ३८ में शब्द "two" ["दो"] के स्थान पर शब्द "three" ["तीन"] आदिष्ट किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं ?

डा० काटजू: मैं तो टेकचन्द समिति की सिपारिशों का अनुसरण कर रहा हूं । उसने दो वर्ष की सिपारिश की है और मैं ने दो वर्ष मान लिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस संशोधन को नहीं रख रहा हूं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल: मैं अपने कालावधि को बढ़ा कर पांच वर्ष करने के संशोधन को नहीं प्रस्तुत करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय: और कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ६—(विशेष न्ययाधीश नियुक्त करने का अधिकार)

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २, पंक्ति ४ में "to try" ["परीक्षण करना"] शब्दों के स्थान पर "with reference to number of such cases of ["···के ऐसे मामलों की संख्या के अनुसार"] शब्द आदिष्ट किये जायें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस संशोधन को सदन के समक्ष केवल उसी दशा में रखूंगा जब माननीय मंत्री उसे स्वीकार करने को राज़ी हों।

डा० काटजू: मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: तो मैं अपने संशोधन को नहीं रखना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे सदन के समक्ष नहीं रख रहा हूं।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २, पंक्ति ११ में से "or has been" ["या रहा हो"] शब्दों को विलोपित कर दिया जाये।

इस संशोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि "has been" ["रहा हो"] शब्दों से सेवा-निवृत्त लोगों की भी विशेष न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हो सकेगी। मैं नहीं चाहता कि सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को दुबारा सेवायुक्त किया जाये क्योंकि उस दशा में ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार के शिकार हो जाने का डर है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को नियक्त करने का अर्थ यह होगा कि अन्य लोग पदोन्नति के अवसर से वंचित हो जायेंगे। अतएव मेरा संशोधन यह है कि "has been" ["रहा हो"] शब्दों को विलोपित कर दिया जाये। ऐसा करने से सहायक सत्र न्यायाधीशों (असिस्टेंट सैशन्स जजों) को विशेष न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि "has been" ["रहा हो"] शब्दों से ऐसा मालूम देता है कि किसी व्यक्ति के लिये नियुक्ति के समय ज़िला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) या सत्र न्यायाधीश (सैशन्स जज) होना आवश्यक नहीं है। उनका विचार यह प्रतीत होता है कि विधेयक में निवृत्त लोगों का भी ख्याल रखा गया है। परन्तु शायद माननीय सदस्य इस बात को भूल बैठे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय डिस्ट्रिक्ट या सैशन्स जज न हो किन्तु किसी और पद पर कार्य कर रहा हो, निवृत्त न हो।

डा० काटजू: हम अनुदेश निर्गमित कर देंगे कि ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: तो मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री संशोधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

डा० काटजू: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन नहीं रखवाना चाहते।

श्री सिंहासन सिंह: जी नहीं।

श्री के० सी० सोधिया (सागर): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, पंक्ति ११ तथा १२ में, "additional sessions judge" ["अपर सत्र न्यायाधीश"] शब्दों के पश्चात् " or assistant sessions judge" ["या सहायक सत्र न्यायाधीश"] शब्द निविष्ट किये जायें ।

—[श्री वेंकटारमन]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७—(विशेष न्यायाधीशों द्वारा परीक्षणीय मामले)

श्री एस० वी० रामस्वामी: (सलेम) । मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २ में, पंक्ति २१ से २३ तक को विलोपित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: तो उनका कहना यह है कि पूरा खण्ड ३ निकाल दिया जाये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: जी हां, जिससे जटिलतायें उत्पन्न न हों और परीक्षण के समय केवल धारा ६ में उल्लिखित अपराधों का ही परीक्षण हो ।

डा० काटजू : मैं ने इस प्रश्न पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है । दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट धारायें हैं । जिन में यह बतलाया गया है कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत दोषारोपों का एक साथ परीक्षण किया जा सकता है । सामान्य नियम तो यह है कि एक दोषारोप का एक परीक्षण हो । हत्या या डकैती के मामले का रिश्वत लेने के मामले के साथ परीक्षण नहीं किया जा सकता । इन दोनों प्रकार के मामलों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि हम बिना विचार किये यह कह दें कि ये पंक्तियां निकाल दी जायें तो वास्तव में उस से परीक्षण में रुकावट आ सकती है । मेरा सुझाव यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य उपबन्ध रहे आयें । मुझे निश्चय है कि यदि किसी न्यायाधीश के सामने किसी रिश्वत के मामले में हत्या का दोषारोप आ जायेगा तो वह स्वयं ही यह कह देगा कि मैं इसका परीक्षण नहीं करना चाहता । अतएव मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय । क्या मैं इस संशोधन को सदन के समक्ष रखूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: आवश्यक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ८—(प्रक्रिया तथा अधिकार आदि)

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मेरा यह संशोधन मेरे खंड ५ के संशोधन का आनुषंगिक है । मैं अपना संशोधन तो नहीं रख रहा हूं, परन्तु मैं यह चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री यह बतलायें कि क्या न्यायाधीशों को जांच तथा अनुसन्धान के समय क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप के दूसरे संशोधन का क्या बना ?

श्री पी० टी० चाको: वह भी आनुषंगिक है ।

डा० काटजू: यह आवश्यक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं इसे सदन के समक्ष रखूं ?

श्री पी० टी० चाको: जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खंड १०

संशोधन किया गया

पृष्ठ ३ में पंक्ति ६ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये:

"10. Transfer of certain pending cases.—All cases triable by a Special judge under section 7 of which immediately before the commencement of this Act were pending before any magistrate shall, on such commencement, be forwarded for trial to the Special Judge having jurisidiction over such cases."

—[*Shri Venkataraman*]

"१०. कुछ लम्बित मामलों का हस्तान्तरण.—धारा ७ के अधीन एक विशेष न्यायाधीश द्वारा परीक्षणीय सब मामले जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित थे, ऐसे प्रारम्भ पर, परीक्षणार्थ, विशेष न्यायाधीश को, जिसका ऐसे मामलों पर क्षेत्राधिकार हो, भेज दिये जायेंगे ।"]

—[**श्री वेंकटारमन**]

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम): सभापति महोदय, इस दो तीन महीने की बैठक के अन्दर आज यह पहला अवसर है कि आप ने मेरे ऊपर दृष्टिपात किया । इस के लिये मैं आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, इस विधेयक का मैं साधारण तरीके से स्वागत करता हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता होती और मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझता यदि इस विधेयक का मैं उत्साह के साथ और तहेदिल से समर्थन कर सकता । प्रश्न यह होता है कि इस का समर्थन करते हुए मैं तहेदिल से इस का समर्थन क्यों नहीं करता । उस की वजह है, सभापति महोदय, और वह वजह यह है कि इस तरह के कानून तो

पहले ही से हमारे देश में बहुत हैं। इस में नई बात क्या हुई है। इस में तो यह है कि एक स्पेशल मजिस्ट्रेट (विशेष मजिस्ट्रेट) बहाल होंगे और दूसरी बात यह है कि जो घूस देने वाले हैं उन की सज़ा बढ़ा दी गई है। इस के अलावा और तो कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ हो, इस विधेयक के अन्दर यद्यपि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यदि गृह-मंत्री या उन की सरकार में मुझे यह भरोसा होता कि ये लोग इस कानून को कार्य रूप में परिणत करेंगे तभी मैं तहेदिल से इसका स्वागत करता। सभापति महोदय, आप कई बार यहां पर यह कह चुके हैं कि यहां पर जो कुछ होता है उस पर हर एक सदस्य को ध्यान देना चाहिये और गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि इस भवन में ३५ करोड़ भारतवासियों के भाग्य का निर्णय होता रहता है। और यहां पर जो कार्य होता है उस का असर सारे देश पर पड़ता है। यह आप ने बहुत सुन्दर कहा है। लेकिन उस का असर कहां कहां पड़ता है यह कहना मुश्किल है। सभापति महोदय, यह विषय तो बहुत गम्भीर है। और जब आप की गैर हाज़िरी में इस पर बहस हो रही थी तो कुछ लोगों ने इस के बारे में भी पार्टीबन्दी की बात कही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

यह देश का दुर्भाग्य है कि लोग इतने दलों में बंटे हुए हैं। लेकिन यह तो जानना चाहिये कि दलबन्दी का जो विषय है उस से बढ़ कर के भी हम लोगों का कोई सम्बन्ध है। हम लोग ३५ करोड़ भारतवासी भारत-माता की सन्तान हैं यह तो सब से बड़ा सम्बन्ध है। यह जो रिश्वतखोरी या घूस-खोरी चल रही है इस के लिये तो लज्जा सब को होनी चाहिये चाहे वह कांग्रेसमैन हों या चाहे वह कोई सरकारी कर्मचारी हों। कोई भी पाप करता है तो उस के लिये हम सब को लज्जित होना चाहिये, मुझे भी लज्जित होना चाहिये, मेरे लिये भी यह दुःख और शर्म की बात होनी चाहिये। इसी तरह से अगर मुझ से कोई पाप होता हो इस के लिये सब के दिल में दुःख होना चाहिये और सब का सर शर्म से नीचा होना चाहिये। ऐसे विषयों में दलबन्दी का सवाल नहीं होना चाहिये। यह जो रिश्वतखोरी और अनाचार है यह तो सारे देश का रोग है और इस को दूर करना हर एक आदमी का कर्तव्य है। कल भाषण करते हुए मेरे मित्र अलगूराय शास्त्री जी ने बहुत सुन्दर कथा कह दी कि फ्रांस में जो सरकारी कर्मचारी हैं वे बड़े पवित्र हैं और वे लोग भ्रष्ट नहीं किये जा सकते। यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उस के साथ ही एक बात मैंने और सुनी है कि जो मैं सारे देश को और सारी संसद् को सुना देना चाहता हूं कि जब वहां सरकारी कर्मचारी पर घूसखोरी का दोष लगाया जाता है तो, मैं ठीक से तो नहीं जानता लेकिन जो मैं ने सुना है वह कहता हूं, उस दोष को सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रमाणित करने का दायित्व दोष लगाने वाले पर नहीं रहता बल्कि वहां यह नियम है कि वह सरकारी कर्मचारी ही यह प्रमाणित करे कि वह निर्दोष है। वहां यह अनुमान कर लिया जाता है कि जब इस पर दोष लगाया जाता है तो यह दोषी होगा ही। इसलिये जिस के ऊपर दोष लगाया गया है उस को पहले यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उस का दोष नहीं है। यह सुनने में तो बहुत कठिन मालूम पड़ता है और शायद हमारे गृह मंत्री इस को पसन्द नहीं करेंगे और वह कहेंगे कि इस तरह तो यहां लोगों को बहुत कठिनाई हो जायेगी। लेकिन मैं गृह मंत्री जी को कहे देता हूं कि वह इस पर ग़ौर करें और उन के द्वारा मैं उन की सरकार को यह कहे देता हूं कि यदि इस देश से····

अध्यक्ष महोदय: आप विधेयक पर बोलिये, उसके सामान्य विस्तार में न पड़िये।

बाबू रामनारायण सिंह: सभापति महोदय, जो जो बातें यहां हो रही थीं उन्हीं का प्रसंग मैं लाया हूं दो तीन बातें मेरे दिल में थीं वह मैं ने पहले ही कह दी हैं। आपने केवल एक बात का बन्दोबस्त किया है कि जो रिश्वत देने वाले हैं उन की सजा बढ़ा दी है और एक विशेष कोर्ट (न्यायालय) क़ायम कर दिया है। यह ठीक है और इस का असर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यह कह रहा था कि यदि सरकार की यह नीयत है कि इस देश से घूंसखोरी ख़त्म हो तो उस के लिये जैसा कि हम ने फ्रांस के बारे में सुना है उसी तरह का कोई प्रबन्ध करना होगा। लेकिन सब से बड़ी बात तो यह है, सभापति महोदय, कि जैसा कि कुछ लोगों ने और गृह मंत्री ने कहा कि प्रश्न तो यह है कि घूंस देने वाले पहले ख़त्म हों या घूंस लेने वाले ख़त्म हों। लोग कहते हैं कि जब तक घूंस देने वाले रहेंगे, घूंस लेने वाले भी रहेंगे। सभापति महोदय, हमारी समझ में यह एक थोथी बहस है। यह जानी हुई बात है कि देश में छोटे बड़े कितने सरकारी कर्मचारी होंगे। ये लोग एक करोड़ से अधिक नहीं होंगे और ये सरकार के अधीन हैं, सरकार से वेतन पाते हैं और सरकार के हुक्म के अन्दर रहते हैं.....

अध्यक्ष महोदय: जिन बातों पर प्रथम वाचन के समय चर्चा हो चुकी है मैं उन्हें फिर दुहराये जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। सदन इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुका है कि रिश्वत देने वालों को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिये जितनी कि रिश्वत लेने वालों को। यदि माननीय सदस्य विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं तो वह साफ़ साफ़ कह सकते हैं। यदि वह विरोध करना चाहते हैं तो भी वह संक्षेप में उन बातों को उल्लिखित कर सकते हैं जिन पर उन्हें आपत्ति है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): यदि सिद्धान्त मान भी लिया गया है, तो क्या हम सरकार से यह नहीं कह सकते कि इसको कार्यान्वित किस प्रकार किया जाये?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रक्रम पर नहीं। इस का क्षेत्र तो सीमित है। यह तो पहले कही गई बातों को दुहराना हो जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे: और यदि ऐसी बातें कही जायें जो पहले न कही जा चुकी हों?

अध्यक्ष महोदय: वे बातें पहले कही जा सकती थीं। क्या माननीय सदस्य को कुछ और कहना है?

बाबू रामनारायण सिंह: सभापति महोदय, यह तो जैसा मैं ने पहले ही कहा था कि मैं इस का विरोध तो नहीं कर रहा हूं मैं ने तो साधारण तरीक़े से इस का स्वागत किया है। लेकिन, सभापति महोदय, यह तो अभिलाषा सब की होती है कि जब कोई नियम आप पास कर रहे हैं या लागू कर रहे हैं तो उस का ठीक तरह से पालन होना चाहिये जिस से देश को कुछ लाभ हो। नहीं तो यदि हम यहां नियम पास करते गये और लायब्रेरी (पुस्तकालय) में रखते गये तो इस से क्या लाभ होगा? सभापति महोदय, यह कहना तो हमारा धर्म है और इस में मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। अब मैं ख़त्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वल्लातरास से बोलने के लिये कहूंगा।

बाबू रामनारायण सिंह: मैं एक दो मिनट और लूंगा। मैं ने तो कहा कि मैं ख़त्म

करता हूं और इस के माने यह होते हैं कि मैं एक दो मिनट और लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप इधर उधर की बातें न कह कर मुख्य विषय पर आयें ।

बाबू रामनारायण सिंह : मेरी बहस इस जगह पर यह है कि जैसे लोग कहते थे कि जब तक घूस देने वाले रहेंगे तब तक घूस लेने वाले भी रहेंगे, यह ग़लत है । घूस देने वालों में तो सारा समाज हो सकता है, ३५ करोड़ भारतवासी हो सकते हैं । लेकिन घूस लेने वालों में तो सरकारी लोग ही हो सकते हैं, जिन की संख्या एक करोड़ से अधिक नहीं है । तो सरकार चाहे तो एक करोड़ को ज्यादा आसानी से ठीक कर सकती है और सारे समाज को पवित्र करना ज्यादा कठिन है । इस लिये यह बहस नहीं आनी चाहिये कि जब तक घूस देने वाले रहेंगे तब तक घूस लेने वाले भी रहेंगे ।

तो ख़ैर, इतना ही कह कर आप की इच्छा है तो मैं बैठ जाता हूं । लेकिन यह बहस नहीं आनी चाहिये, यह थोथी बहस है । अगर सरकार चाहती है कि घूसखोरी बन्द हो तो उस को मुस्तैदी के साथ काम करना होगा, जिस तरह से फ़्रांस में काम होता है । इस के साथ मैं यह भी कहे देता हूं कि अगर घूसखोरी बन्द नहीं होती है तो न्याय नहीं हो सकता है और यदि न्याय नहीं होता तो ऐसी सरकार के रहने की भी जरूरत नहीं है ।

श्री वल्ला तरास (पुदुकोटै): इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों को तेजी के साथ निबटाने और उस अपराध में सन्निहित व्यक्तियों को अधिक दंड देने की व्यवस्था की जाय । इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाऊंगा जो उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधित करनी होगी । पहले मैं उनका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८ की ओर दिलाऊंगा । इसमें स्तम्भ ८ की ओर जो निर्देश किया गया है उस से यह पता चलता है कि इस में जो अपराध उल्लिखित हैं वे धारा १६१ तथा १६५ के अन्तर्गत आते हैं । इसके विपरीत, बिना जमानत वाले अपराधों के सम्बन्ध में पांच या छै अन्य स्तम्भ भी हैं । अब यदि हम द्वितीय अनुसूची में धारा १६५ के बाद नई धारा १६५ क सम्मिलित करें, तो अन्य स्तम्भों में भी सब खानापूरी की जानी होगी । द्वितीय अनुसूची में धारा १६५ क अवश्य सम्मिलित कर दी जानी चाहिये, और उस अनुसूची में धारा १६५ सम्बन्धी आवश्यक संशोधन भी कर दिये जाने चाहियें । माननीय मंत्री को इन दो बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं धारा १४ पर आता हूं । इस में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर माननीय मंत्री को ध्यान देना है । अच्छा होता यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता । मैं सारे विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं । मैं विधेयक की मूल भावना को मानता हूं । यदि किसी क़ानून में कोई संशोधन आदि किया जाना हो तो अधिक अच्छा यह होगा कि ऐसे संशोधन आदि मूल उपबन्धों में ही किये जायें ।'इस प्रकार, मेरी राय में, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धी उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ९ के अन्तर्गत, एक खण्ड के रूप में, सम्मिलित किया जा सकता है ।

धारा १४ में, जिस में मजिस्ट्रेटों की ओर निर्देश है, यह उल्लिखित है :

"राज्य सरकार, विशेष मामलों
या मामलों के विशेष वर्गों·····

[श्री वल्ला तरास]

के सम्बन्ध में ····किसी व्यक्ति को, एक या कोई अधिकार दे सकती है ।"

प्रेसीडेंसी के बाहर के मामलों के सम्बन्ध में, ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष मजिस्ट्रेट कहा जा सकता है तथा वे उतने समय के लिये नियुक्त किये जायेंगे जितना कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निश्चित करे ।

धारा ९ के खण्ड ३ तथा ४ में लिखा है :

"राज्य सरकार अपर सत्र न्यायाधीश तथा सहायक सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकती है जिनका एक या अधिक ऐसे न्यायालयों पर क्षेत्राधिकार होगा ।" "एक सत्र मंडल का कोई एक सत्र न्यायाधीश राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरे मंडल का अपर सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है ।"

वर्तमान विधेयक का खण्ड ५ इसके पश्चात् रखा जा सकता था । विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित किया जाना चाहिये । यह उपबन्ध, एक ही वाक्य में, इस धारा ९ में सम्मिलित किया जा सकता था । यदि यह अलग बनाया गया तो इस से बहुत असुविधा होने का भय है ।

अब मैं धारा १६४ के संशोधन पर आता हूं । यह धारा इस भांति है :

"इस अध्याय के अन्तर्गत अनुसन्धान के दौरान में, या जांच अथवा परीक्षण के प्रारम्भ के पश्चात् या पूर्व ····"

संशोधन के अनुसार इसमें यह जोड़ा जाना है : "or under any law for the time being in force" ["या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत जो इस समय प्रभावी हो"] मेरे ख्याल में इस संशोधन का कोई महत्व नहीं है । इस अध्याय के अन्तर्गत ऐसे सब अपराध आ जाते हैं जिनकी एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जानी होती है । यदि निर्देश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधान की ओर है, तो मैं समझता हूं कि उस अपराध की भी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जानी होती है ।

इसके बाद मैं धारा ३३७, ३३८, ३३९ तथा ३३९क पर आता हूं । इस संशोधक विधेयक के फलस्वरूप मुझे इन धाराओं के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा सन्देह है । धारा ३३७ तथा ३३८ क्षमादान विषयक उपबन्धों के सम्बन्ध में हैं । जब कोई व्यक्ति क्षमादान स्वीकार करता है तो उसे कोई वचन देना होता है । यदि वह वचन को पूरा नहीं करता तो वह दंड का पात्र होता है । तो मेरी शंका यह है कि ऐसे व्यक्ति को दंड कौन देगा ।

धारा ३३९ में ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाये जाने की प्रक्रिया दी हुई ह । यदि कोई व्यक्ति जिसे क्षमादान दिया गया हो और जिस ने क्षमादान स्वीकार कर लिया हो, क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उस पर धारा ३३९ के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है । धारा ३३९ के अन्तर्गत एक विशेष प्रक्रिया दी हुई है । जिस व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार कर लिया हो उससे उस न्यायालय द्वारा जो उस पर धारा ३३९ के अधीन मुकदमा चलाय, यदि न्यायालय कोई उच्च न्यायालय अथवा सब न्यायालय हो तो धारा २७१(१)

के अन्तर्गत आरोप बतलाये जाने से पहले या यदि न्यायालय मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो तो इस्तगासे की ओर से गवाही पेश किये जाने से पहले, यह पूछा जा सकता है कि उस ने उन शर्तों को पूरा किया है या नहीं जिन के अधीन उसे क्षमादान दिया गया था। यदि अभियुक्त यह कहता है कि उसने उन शर्तों को पूरा कर लिया है तो उस पर मुकदमा चलाने वाला न्यायालय उसके इस ब्यान को लिख लेगा और आगे की कार्यवाही जारी करेगा और जूरी या न्यायालय असेसरों अथवा मैजिस्ट्रेटों, जैसी भी दशा हो, की सहायता से निर्णय देने के पूर्व, यह पता लगायेगा कि अभियुक्त ने क्षमादान की शर्तों को वास्तव में पूरा किया है या नहीं। यदि यह पाया जायेगा कि उसने वास्तव में यह शर्तें पूरी कर ली हैं तो उस दशा में, इस संहिता में कोई बात होती हुए भी, अभियुक्त को रिहा कर दिया जायेगा। इस समय कानून यह है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में क्षमादान वाले अभियुक्त से यह सवाल इस्तगासे की ओर से पेश की गई गवाही के पहले और सत्र न्यायालय या उच्च-न्यायालय में, आरोप बतलाये जाने से पहले पूछा जायेगा परन्तु विशेष न्यायाधीश की स्थिति तो लटकते हुए त्रिशंकु की सी है। वह न तो मजिस्ट्रेट की तरह कार्य कर सकता है और न ही सत्र न्यायाधीश की तरह। अब समस्या यह है कि वह अभियुक्त से यह सवाल कब पूछेगा। यह समस्या मैं आप पर ही छोड़ता हूं ताकि आप इस पर विचार करें। इस समय मैं इस पर तर्क नहीं कर सकता। आखिर, यह बात तो हम सब लोग मानते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न मिले। अभियुक्त से उक्त सवाल पूछने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिये चाहे वह विशेष न्यायाधीश हो या अन्य कोई।

अब मैं अपराधों के संज्ञान के विषय में दो शब्द कहूंगा। जहां तक अपराधों के संज्ञान का सम्बन्ध है, दण्ड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेटों आदि के लिये विशेष उपबन्ध हैं। उन्हें इस विधेयक में एक अलग उपबन्ध के रूप में रखने की बजाये, सम्बन्धित धारा १९० या १९३ या जो कोई भी हो, के संशोधन के साथ में रखा जाये तो अधिक अच्छा होगा।

जहां तक अपीलों का सम्बन्ध है स्थिति इस भांति है। सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा परीक्षित मामलों की अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जाती है। नियमित सत्र न्यायाधीश की अपील, चाहे वह अपर सत्र न्यायाधीश हो या ज़िला मूल सत्र न्यायाधीश, उच्चन्यायालय में में जाती है। श्री वेंकटारमन् के संशोधन में यह व्यवस्था है कि सहायक सत्र न्यायाधीश भी उनमें शामिल कर लिए जायें। परन्तु विशेष न्यायाधीश की क्या स्थिति रहेगी? हमें इस बात पर तर्क करना होगा कि जब एक विशेष न्यायाधीश इस विधि के अन्तर्गत नियुक्त किया जायेगा तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त रहेंगे। क्या उस की स्थिति सत्र न्यायाधीश की होगी या सहायक सत्र न्यायाधीश की? यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री वेंकटा रमन् (तंजोर) : क्या आप खंड ९ को देखने की कृपा करेंगे?

श्री वल्ला तरास: फिर, अन्य उपबन्ध— धारा ४६४, ४६५, ४६६ और ४६७ – पागलों के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मैं विस्तार में नहीं पड़ना चाहता क्यों कि इससे तो सदन का समय ही नष्ट होगा। मामलों की जांच तथा परीक्षण करने वाले मजिस्ट्रेटों को एक विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। यदि किसी अभियुक्त

[श्री वल्ला तरास]

का दिमाग ठीक नहीं प्रतीत होता तो उसके लिये भी प्रक्रिया विहित है ।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक और बात की ओर निर्देश करना चाहता हूं । आप सज़ा को बढ़ा कर ३ वर्ष कर दें या ७ वर्ष, इससे मुझे कोई मतलब नहीं । मेरी धारणा तो यह है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना कठिन है । प्रशासन व्यवस्था के साथ साथ यह तो चलता ही रहेगा । देखना तो यह है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों को तेज़ी से निपटाया जा सके । इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि प्रारम्भिक रूप से तो उन्हें भ्रष्टाचार के मामले दिये जायें परन्तु यदि उस प्रकार के मामले न हों तो उन्हें अन्य प्रकार के मामले भी दिये जायें । इस तरह यदि विशेष न्यायाधीशों के पास भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई मामला नहीं होगा तो वे अपना समय अन्य प्रकार के मामलों को निपटाने में लगा सकेंगे ।

यह विधेयक बड़ी जल्दी में बनाया गया है और इस के प्रत्येक प्रक्रम पर हमने जल्द की है । अभियुक्त के विशेषाधिकार तथा अधिकार न्यायालयों के निर्णय पर छोड़ दिये गये हैं; इस का अर्थ यह होता है कि अभियुक्त का काफ़ी समय और धन नष्ट होगा । निस्सन्देह, अभियुक्त को उसके दोषी सिद्ध हो जाने पर, दंड दिया जाना चाहिये; परन्तु जब तक वह दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक सरकार को उसे पूरा-पूरा रक्षण देना चाहिये । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, मेरा निवेदन यह है कि सदन को यह विधेयक स्वीकार नहीं करना चाहिये । जो जो बातें उठाई गई हैं उन पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया जाये कि विधेयक पारित किया जाना चाहिये या नहीं ।

डा० काटजू : अभी सदन ने विधेयक के प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू की विवेचना सुनी । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसने इस विधेयक का प्रारूप बड़े ध्यानपूर्वक तैयार किया है तथा सक्षम प्राधिकारियों ने इसकी जांच भी कर ली है । हम समझते हैं कि इस विधेयक द्वारा वांछित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी । मुख्य उद्देश्य यह है कि परीक्षण उच्च न्यायिक स्तर पर हो ताकि किसी को यह कहने का अवसर ही न मिले कि किसी सरकारी अधिकारी के साथ उचित बर्ताव नहीं हुआ है ; दूसरा उद्देश्य यह है कि मामले का निपटारा तेजी के साथ हो; तीसरा यह कि उच्च न्यायालय में उस की अपील हो सके । यह बात भी स्वयं अभियुक्त के हित में है क्योंकि साधारणतः जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मामले का परीक्षण करता है तो उसकी अपील सत्र न्यायालय में होती है और यदि सत्र न्यायालय भी अभियुक्त को दोषी ठहराता है तो उच्चन्यायालय में 'रिवीज़न' होता है । कभी कभी उच्चन्यायालय को तथ्य ज्ञात करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं क्योंकि सामान्यतया उच्चन्यायालय 'रिवीज़न' के दौरान में तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करता । अतएव, यह विधेयक इन बातों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है : न्यायोचित मामला, मामले का तेज़ी के साथ निबटारा अभियुक्त के साथ न्याय तथा उसके दोषी पाये जाने पर समुचित उच्च पदाधिकारी द्वारा उचित दंड ।

मेरे माननीय मित्र ने विधेयक में कुछ ऐसी बातें मालूम की हैं जिन्हें वह विधेयक की 'कमियां' कहते हैं । मैं नहीं कह सकता कि वास्तव में वे कमी हैं या नहीं । ऐसा

लगता है कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं का विस्तृत ज्ञान है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में यह विधेयक पारित हो जाना चाहिये। यदि इसमें कोई छोटी मोटी कमी होगी भी तो उच्चन्यायालय या सम्बन्धित न्यायालय उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर लेगा; परन्तु यदि उस में कोई गम्भीर प्रकार की त्रुटि मालूम होगी तो बाद में हम ही सुधार लेंगे। इस समय तो हमारा ख्याल यह नहीं है—और मैं समझता हूं कि सदन का भी ख्याल यह नहीं है—कि यह विधेयक अव्यवहार्य है अथवा इससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी जो हमने बनाये हैं। बस मेरा निवेदन इतना ही है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंग कि वह इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधि विस्तार) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरा विधेयक लेते हैं जो हमने कल उठा रखा था : डा० काटजू द्वारा कल प्रस्तुत किये गये विधेयक पर अग्रेतर विचार।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उससे सदन को अपने कार्य में सहायता मिल सकती है। मैंने इस विधेयक के पूर्व इतिहास पर काफी अध्ययन किया है। सदन को ज्ञात होगा कि भारत में आरक्षी बल (पुलिस फोर्स) का निर्माण सन् १८६१ में अधिनियमित एक अधिनियम द्वारा हुआ था। इस अधिनियम की दो मुख्य बातें हैं। पहली तो यह है कि प्रत्येक पुलिसमैन को दो महीने पहले सूचना दे कर त्याग पत्र देने का अधिकार दिया गया है। दूसरी यह कि इसमें विभिन्न अनुशासनात्मक अपराधों के लिये दंड की व्यवस्था है। यह हल्की सी सज़ा है—कोई तीन एक महीने की या ऐसी ही कुछ। इसके बाद एक अधिनियम सन् १८८८ में पारित किया गया। उस में संकट पड़ने पर एक प्रान्त की पुलिस के दूसरे पड़ोसी प्रान्त में भेजे जाने की व्यवस्था की गई। उस अधिनियम की एक धारा में यह कहा गया कि जब किसी एक प्रान्त की पुलिस दूसरे प्रान्त में जायेगी तो उसके अधिकार तथा कृत्य वही होंगे जो उस प्रान्त की पुलिस के जिसमें कि वह जायेगी और वह उसी प्रान्त के अनुशासन के अधीन होगी। सन् १८८८ तक स्थिति यह थी।

इसके पश्चात् सन् १८९२ से, विभिन्न प्रान्तों में सशस्त्र आरक्षीवर्गों (आर्म्ड कांस्टेबुलरी) का निर्माण किया गया। जिन प्रान्तों में सशस्त्र आरक्षीवर्गों की रचना की गई उन सब में एक, एक विशेष विधि पारित की गई जिसमें अनुशासनात्मक अपराधों के लिये अधिक कड़ी सज़ा दी जाने की व्यवस्था की गई। उदाहरणार्थ, यदि कोई पहरेदार पहरे पर सो जाता था तो उसे कद की सज़ा दी जा सकती थी। मान लीजिये, उसने अपने उच्च अधिकारी पर हमला कर दिया; उस दशा में उस अपराधी व्यक्ति को सात वर्ष की कैद की सज़ा दी जा सकती थी। यदि वह आरक्षीवर्ग को छोड़कर भागता तो उसे पकड़ा जा सकता था। कुछ राज्यों में तो त्यागपत्र का अधिकार भी ले लिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को सशस्त्र आरक्षीवर्ग में भरती होने से पूर्व इस वचन पर हस्ताक्षर करने होते थे कि वह अनुमति

[डा० काटजू]

के बिना त्यागपत्र नहीं देगा। तो सामान्य विधि यह थी।

जब यह सशस्त्र आरक्षीवर्ग एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ले जाये जाने लगे तो यह प्रश्न उठा कि वे किस प्रान्त के अनुशासन के अधीन रहेंगे—जिस प्रान्त के वे हैं या जिस प्रान्त में वे भेजे गये हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न १९४८ में उठा जब कि वर्तमान दिल्ली राज्य ने यू० पी० सशस्त्र आरक्षीवर्ग की सहायता मांगी। उस समय इस बात पर विचार किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश आरक्षीवर्ग पर जब कि वह दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश अधिनियम लागू नहीं रहेगा। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता तो इसका परिणाम यह होता कि यू० पी० सशस्त्र आरक्षीवर्ग के किसी व्यक्ति को दिल्ली में कोई अपराध करने पर उतनी कढ़ी सज़ा नहीं मिलती जितनी कि उसे उस समय मिलती यदि वही अपराध उस ने गाज़ियाबाद या बुलंदशहर में किया होता। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्यावेदन किया कि वह चाहती है कि उसके सशस्त्र आरक्षीवर्ग उत्तर प्रदेश के बाहर किसी प्रान्त में रहने पर भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन रहें। अतः यू० पी० सरकार की इस बात को मान लिया गया तथा संविधान सभा (वैधानिक) द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सशस्त्र आरक्षीवर्ग पर वे ही नियम आदि लागू रहे आयेंगे जो उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात्, अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही प्रार्थनायें कीं। अब राज्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। वे सब इस बात के लिये तैयार थे कि यदि उनके सशस्त्र आरक्षीवर्गों पर बाहर भी उनके कानून लागू किये जाते रहें तो वे डाकुओं आदि के पकड़ने तथा चौर्यानियन को बंद करने में अपने पड़ोसी राज्यों की सहायता करने को तैयार रहेंगे।

इसके दो पहलू थे। एक तो इन आरक्षीवर्गों के अधिकार तथा कृत्य तथा दूसरा उनका दायित्व तथा अनुशासन। इस के सम्बन्ध में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां तक उनके अधिकारों तथा कृत्यों का सम्बन्ध है, वे वही होंगे जो उस राज्य में—जिसमें कि वे जायें—लागू हों; परन्तु जहां तक अनुशासन तथा दायित्व का प्रश्न है, उन पर उनके मूल प्रान्त का अधिनियम ही लागू रहेगा। इसमें विशिष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि किसी एक राज्य का पुलिस अधिकारी किसी दूसरे राज्य में, अनुशासन तथा दायित्व के सम्बन्ध में, उन्हीं कानूनों के अधीन होगा जिनके अधीन वह अपने मूल राज्य में होता।

कल इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किया गया था कि उनके अधिकार तथा कृत्य क्या होंगे। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, १८८८ के आरक्षी विधेयक में दी गई स्थिति ही कायम न रहेगी। उस में कहा गया है कि जब कोई आरक्षीबल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भेजा जाये तो वहां उसके अधिकार तथा कृत्य वही होंगे जो उस दूसरे राज्य की विधियों में विदित हैं; परन्तु जहां तक दायित्व तथा अनुशासन का सम्बन्ध है, वे अपने मूल प्रान्त की विधियों के अधीन होंगे। जैसा कि मैं ने कहा, दो मुख्य बातें हैं : त्यागपत्र का अधिकार तथा दंड का विस्तार। सशस्त्र आरक्षीवर्ग अधिनियमों में उपबन्धित दंड लगभग सभी राज्यों में कड़ा है, और जहां तक दायित्व का सम्बन्ध है, वह वैसा ही है। मुझे आशा है कि मेरे इस स्पष्टीकरण से वे समस्त सन्देह जो कल व्यक्त किये गये थे, या वे जो माननीय सदस्यों द्वारा आज व्यक्त किये

जायें, दूर हो जायेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये और इसे पारित किया जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): यदि किसी एक प्रान्त के सशस्त्र आरक्षीवर्ग का कोई पुलिसमैन दूसरे प्रान्त में दोषी पाया जाये तो, इस विधेयक के अनुसार, उसके विरुद्ध उसके मूल प्रान्त के कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कौन करेगा।

डा० काटजू: उस राज्य के न्यायालय द्वारा जहां कि वह हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृहमंत्री ने जिन विभिन्न अधिनियमों की ओर निर्देश किया, उनका अध्ययन करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासन का प्रश्न, जो अस्पष्ट सा छोड़ दिया गया था, इस विधेयक द्वारा स्पष्ट हो गया है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : अनुसूची में भिन्न भिन्न राज्यों के कानून दिये गये हैं। क्या हम उन कानूनों के गुणावगुणों की चर्चा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप ने स्थिति को ग़लत समझा है। हम उन कानूनों के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप विधेयक को ध्यान से पढ़ें और उन उपबन्धों की ओर भी निर्देश करें। अनुसूची में निर्दिष्ट बहुत से अधिनियमों का तो इस विधेयक के किसी भी उपबन्ध में उल्लेख तक नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे: मैं समझता हूं कि जहां तक अनुशासन तथा दायित्व का सम्बन्ध है, ये विशेष कानून आप ही आप उन राज्यों के बाहर के क्षेत्रों में लागू हो गये हैं जहां पुलिस अधिकारी सेवायुक्त हों।

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक भिन्न धारणा पर चल रहे हैं। ये विभिन्न कानून तो सामान्य आरक्षी बल के अतिरिक्त कुछ विशेष बल बनाने के प्रयोजन से पारित किये गये थे। उदाहरण के लिये, बंगाल सैनिक आरक्षी अधिनियम तथा पूर्वी सीमान्त राइफ़िल्स अधिनियम ऐसे ही बलों का निर्माण करने के प्रयोजन से पारित किये गए थे। अनुसूची में केवल उन अधिनियमों की ओर ही निर्देश है जिनके द्वारा विशेष आरक्षी बलों का निर्माण किया गया था।

इन विशेष बलों के लिये अनुशासन तथा दंड सम्बन्धी विशेष नियमों की व्यवस्था की गई थी। १८८१ के आरक्षी अधिनियम की धारा ३ में सभी पुलिस अधिकारियों के लिये चाहे वे किसी भी सूबे से आये हों, उन आधिकारों तथा कृत्यों की व्यवस्था है जो उस राज्य के आरक्षी अधिनियम में विहित हों। वह अधिनियम एक ऐसे समय बनाया गया था जब राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कोई विशेष आरक्षी बलों या आरक्षीवर्गों का निर्माण नहीं हुआ था। इस विधेयक में किया गया उपबन्ध उस विशेष अधिनियमों या १८८१ के आरक्षी अधिनियम के उपबन्धों का पूरक है। हम अनुसूची में उल्लिखित राज्य अधिनियमों में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे: हम उनका क्षेत्र बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उनका क्षेत्र भी नहीं बढ़ा रहे हैं। इस विधेयक में तो केवल किसी राज्य के कानून के अनुशासन सम्बन्धी उपबन्धों को दूसरे राज्य में लागू करने की अपेक्षा है।

पंडित के० सी० शर्मा: (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह किस कानून के अनुसार किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्र को विधान बनाने का अधिकार है ।

डा० काटजू : संविधान में संघ सूची के पद ८० में ऐसी विधियों के अधिनियमन की स्पष्ट व्यवस्था है ।

श्री एस० एस० मोरे : संघ सूची का पद ८० तो अधिकारों तथा क्षेत्राधिकारों की ओर निर्देश करता है, अनुशासन तथा दायित्व की ओर नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह विनिर्देश दे दूं कि यह विधेयक पूर्णतः नियमानुकूल है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्योंकि आपने निर्णय दे दिया है, अतः मैं एक स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं । मान लीजिये पश्चिमी बंगाल के एक पुलिस अधिकारी को दिल्ली में नियुक्त कर दिया जाता है जहां वह कुछ अपराध करता है । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत तो उस पर दिल्ली का क़ानून लागू होगा । तो मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह बात असंगत नहीं होगी कि उस पर उस प्रान्त का क़ानून लागू किया जाये जहां उसकी भरती हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : मालूम होता है माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ विभ्रम है । यदि कोई आदमी कोई अपराध करता है तो, निश्चय ही, उसके विरुद्ध कार्यवाही उस राज्य के क़ानून के अनुसार की जाती है जिस में कि अपराध किया गया हो । इस विधेयक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल अनुशासन सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में ही उसके मूल राज्य का क़ानून लागू होगा । इस विधेयक में तो बस इतनी ही व्यवस्था है कि यदि उत्तर प्रदेश आरक्षी बल का कोई अधिकारी दिल्ली भेज दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि अनुशासन सम्बन्धी मामलों में वह उत्तर प्रदेश के क़ानूनों के अधीन रहेगा । इस समय आरक्षी अधिनियम के अन्तर्गत, उस की धारा ३ द्वारा, उस पर दिल्ली का क़ानून लागू हो जाता है । परन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है, आरक्षी अधिनियम की धारा ३ में किसी भी बात के होते हुए वह अपने मूल राज्य के विधान के अधीन रहा आयेगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मान लीजिये कोई आदमी एक प्रान्त में अनुशासन भंग करता है और उसके लिये सज़ा पाने से पूर्व उसकी बदली फिर उस के मूल प्रान्त में हो जाती है । तो ऐसी दशा में कौन सा क़ानून लागू होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वही क़ानून जो उस दिन लागू था जिस दिन कि अनुशासन भंग किया गया । यदि वह बाहर भी था तब भी उस पर लागू उसी प्रान्त का कानून होगा जिस में कि वह भरती किया गया था ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मान लीजिये यू० पी० आरक्षी बल के व्यक्ति, जो दिल्ली में तैनात हों, लोगों को मार-पीट दें । तो उस दशा में उसके विरुद्ध कार्यवाही कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे ऐसी मार-पीट करते हैं तो उनका ऐसा करना पुलिसमैन के रूप में नहीं बल्कि साधारण लोगों के रूप में किया गया समझा जायेगा और क़ानूनी दृष्टि से उनकी वही स्थिति होगी जो किसी भी व्यक्ति की मारपीट करने पर होती है ।

प्रश्न यह है कि :

> "किसी राज्य की, उस राज्य के सशस्त्र पुलिस बल से सम्बन्धित, अनुशासनात्मक विधियों का उक्त पुलिस बल के कर्मचारियों पर, जब कि वे उस राज्य के बाहर सेवायुक्त हों, विस्तार करने की व्यवस्था करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे ।

खंड २ विधेयक का अंग बनाया गया ।

खंड ३—(अनुशासनात्मक विधियों आदि का वि

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में "whether independently or by" ["चाहे स्वतन्त्र रूप से या..... से"] को विलोपित किया जाये ।

लोगों को सामान्य भय यह है कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरे राज्यों के सशस्त्र बल जनता पर अत्याचार करने लगें । जब किसी राज्य में झगड़ों आदि का दमन करने के लिये दूसरे राज्य से सशस्त्र आरक्षी बल बुलाया जाता है तो उसे उस राज्य के आरक्षी बल (पुलिस) से मिल कर कार्य करना चाहिये, स्वतन्त्र रूप से नहीं । अंग्रेज़ों के ज़माने में हमने देखा है कि जब किसी नगर में विशेष झगड़े होते थे तो गोरखों आदि को बुलाया जाता था और उन्हें यह आदेश दिया जाता था कि वह जिसे देखें गोली मार दें । तो इन गोरखों आदि ने जनता के विरुद्ध रुख अपनाया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय**, अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

यह भय अब भी हमारे मस्तिष्क में है । यद्यपि माननीय गृह मंत्री ने प्रायः यह कहा है कि अपराधियों या चोर बाज़ारी करने वालों को खत्म करना आवश्यक है, तथापि हम ने कितनी ही बार यह देखा है कि आरक्षी बल का प्रयोग जनसाधारण के आन्दोलन को कुचलने के लिये किया गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ने यह संशोधन रखा है कि आरक्षी बल दूसरे राज्यों से भले ही बुलाये जायें, परन्तु उन्हें स्थानीय पुलिस से मिल कर कार्य करना चाहिये, स्वतन्त्र रूप से नहीं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे ।

डा० काटजू : इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । पहली बात तो यह है कि मेरे माननीय मित्र ने जो शंका व्यक्त की है वह वास्तव में कल्पित है । जैसे ही एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, वह आप ही आप उस राज्य में लागू आरक्षी अधिनियम के अधीन हो जाती है—चाहे वे स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही हो या दूसरे राज्य के इंसपैक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस के नियन्त्रण में । स्वतन्त्र रूप से तो वह आकस्मिक रूप से कार्य करेगी । मान लीजिये उसे डकैतों का पीछा करना पड़े और कोई संयुक्त डकैती-निरोधक कर्मचारी वर्ग न हो । उस दशा में वह स्वतन्त्र रूप से काम करेगी । या जिस राज्य में वह गई हो वहां के इंसपैक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस ही उसे ऐसा करने का प्राधिकार दे दें । अतएव ऐसी कोई शंका नहीं की जानी चाहिये कि यदि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगी तो उस पर कोई पुलिस विधि लागू नहीं होगी और वह जनता पर अत्याचार करेगी । वह सब दायित्व के अधीन होगी । इस विधेयक का अभिप्राय बस इतना है कि किसी दूसरे राज्य में जाकर पुलिस अपने क़ानून के अधीन आभारों से मुक्त न हो जाये ।

उदाहरण के लिये, मैं आप को बतला दूं, मान लीजिये, मध्य प्रदेश अधिनियम के अधीन कोई ऐसी धारा है जिस में यह कहा गया है कि यदि सशस्त्र आरक्षीवर्ग का कोई कर्मचारी किसी संतरी के साथ मार पीट करता है तो उसे सात वर्ष की क़ैद की सज़ा हो सकती है । अब यदि मध्य प्रदेश के सशस्त्र आरक्षी वर्ग का कोई कर्मचारी बंगाल जाता है और वहां अपने किसी संतरी पर आक्रमण कर देता है, हो सकता है बंगाल अधिनियम के अन्तर्गत उसे केवल ३ मास की क़ैद की सज़ा ही दी जाने की व्यवस्था हो, जब कि उस के (मध्य प्रदेश) के अधिनियम के अन्तर्गत उसे ७ वर्ष की

[डा० काटजू]

क़ैद होती। अतः मेरा निवेदन है कि ये शब्द रहने दिये जायें। इन से कोई नुक़सान नहीं होता। वास्तव में वे उस धारा के प्रवर्तन के लिये आवश्यक हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़--पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट (संशोधन) है उसको पेश करना चाहता हूं, जहां तक पहले का ताल्लुक़ है, मैं उसको नहीं पेश करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं इस संशोधन को निबटा लूं। क्या वह इस संशोधन का संशोधन है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं यह संशोधन सदन के समक्ष रखूं ?

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त विचारों से हम यह समझ लेते हैं कि पुलिस का दमनकारी ढंग से प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं संशोधन सदन के सामने नहीं रख रहा हूं। श्री रघुबर दयाल मिश्र उपस्थित नहीं हैं; पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय उपस्थित नहीं हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय गृह मंत्री नें बतलाया था कि यदि किसी एक प्रान्त का पुलिसमैन दूसरे प्रान्त में अनुशासन भंग करता है, तो उस दशा में, उसके दोष का निर्णय उसी प्रान्त के पदाधिकारी और न्यायाधीश करेंगे जिस में कि अनुशासन भंग किया गया हो।

डा० काटजू : जी हां।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक में कहा गया है कि आरक्षीवर्ग का कोई आदमी जो दूसरे राज्य में अनुशासन भंग करता हो अपने ही राज्य के अधिनियम के अधीन रहेगा। इसके दो पहलू हैं। जहां तक दंड का प्रश्न है, यह ठीक है उसे वहीं दंड मिलेगा जो उसके मल राज्य के क़ानून में विहित है, अपराध उस ने चाहे कहीं भी किया हो। परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि अनुशासन भंग किये जाने के मामले का परीक्षण कौन करेगा। यह बात स्पष्ट नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह बात किस आधार पर कही जा रही है कि अनुशासन भंग किये जाने की जांच करने तथा उस के लिये दंड दिये जाने का काम उस जगह के पदाधिकारियों को दिया जायेगा जहां कि अपराध किया गया हो, उन लोगों को नहीं जो अनुशासन भंग करने वाले आदमी के मूल राज्य के अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हों।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं भी इस प्रश्न पर दो शब्द कह सकता हूं, श्रीमान् ? वर्तमान विधेयक के अनुसार, अनुशासन भंग करने वाले आदमी के विरुद्ध मामले का परीक्षण उस प्रान्त के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जहां कि अपराध किया गया हो। न केवल एक राज्य के आरक्षी बल को किसी अन्य राज्य में ले जाया जा रहा है, बल्कि साथ ही उस राज्य के मजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों को वह अधिकार भी दिया जा रहा है जो वास्तव में उनका नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। वास्तव में.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन में से किसी अधिनियम में या अनुसूची में कोई ऐसा उपबन्ध है जिस के द्वारा अनुशासन का भंग किया जाना दंडअपराध होता हो ?

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये इन विशेष अधिनियमों में कुछ अपराध उल्लिखित कर दिये गये हैं और ये अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे राज्य में किये जाते हैं।

तो क्या उसके मूल राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के मजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों को इन अपराधों के सम्बन्ध में निर्णय देने का अधिकार होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कठिनाई तो एक ही राज्य में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिये कहा जा सकता है ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन मावेलिक्करा—सुरक्षित – अनुसूचित जातियां) : परन्तु यहां तो राज्य का प्रश्न है ज़िले का नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : ज़िलों की बात तो दूसरी है । वहां तो एक राज्य के सभी ज़िलों में एक ही क़ानून लागू होता है । क्या आप यह समझते हैं कि इस विधान के बनते ही दूसरे राज्य के मजिस्ट्रेटों को इन मामलों के परीक्षण का अधिकार मिल जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस में अभियोग चलाने के लिये कोई उपबन्ध है ? क्या अनूसूची में दिये गये अधिनियमों के अनुसार ऐसी कार्यवाहियां दंडअपराध समझी जायेंगी ?

डा० काटजू : आरक्षी अधिनियमों में परीक्षण के स्थान या न्यायालय के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया है । उन का निर्धारण तो हमेशा दंड प्रक्रिया संहिता के चालू उपबन्धों के अनुसार होता है । दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपबन्धित है कि प्रत्येक अपराध का परीक्षण किसी एक स्थान या कई स्थानों पर किया जा सकता है । उदाहरण के लिये, यदि बंगाल का कोई पुलिसमैन बिहार के किसी ज़िले में भेजा जाये और वह वहां पहुंच कर कोई अपराध करे तो, दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, उसका परीक्षण बिहार में ही किया जायेगा । बिहार का ही कोई मजिस्ट्रेट उसके मामले का परीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हुआ, उसे दंड देगा । उदाहरणार्थ, मैं मध्य प्रदेश अधिनियम में से पढ़ कर सुनाता हूं :

> "विशेष सशस्त्र आरक्षीवर्ग का कोई पदाधिकारी जिस पर अभियोग चलाया जाता है और जो ..... आरक्षी बल या इन्फैन्ट्री से सम्बन्ध रखता है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले एक न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर दंड ....."

सक्षम क्षेत्राधिकार वहां के न्यायालय का होगा जहां अपराध किया गया हो । श्री मोरे ने शिकायत की कि हम अपने पड़ोसी राज्य के मजिस्ट्रेटों को अधिकार दे रहे हैं । जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बतलाया, ऐसा तो रोज़ होता है । यदि मैं गुजराती हूं तो मेरे ऊपर वह हिन्दू विधि लागू होगी जो गुजरात में प्रचलित हो । अब, मान लीजिये मैं यहां आ कर कोई अपराध करता हूं; तो यहां के व्यवहार न्यायाधीश मेरे विरुद्ध कार्यवाही उस हिन्दू विधि के अनुसार नहीं करेंगे जो दिल्ली के निवासियों पर लागू हो । वह तो उस हिन्दू विधि को मानेंगे जो गुजरात में प्रचलित हो । यह तो एक बहुत साधारण सी बात है । परीक्षण का स्थान दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो ठीक है कि परीक्षण के स्थान का निर्धारण दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा होता है । मेरा अभिप्राय तो वैभागिक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से है ; वह तो विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा ही की जाती हैं । किसी अधिनियम विशेष के अनुसार पुलिस सुपरिन्टैन्डैन्ट को मामले की जांच करने तथा अपराधी पुलिसमैन को दंड देने का अधिकार दिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई सन्देह नहीं है ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र तो कठिनाइयों को बढाते जा रहे हैं । यदि

[डा० काटजू]

पदाधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वे अपने हो उच्चाधिकारियों के अधीन रहते हैं। सामान्य पर्यवेक्षण के क्षेत्र में वे उस राज्य के इंसपैक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस के अधीन रहते हैं जिस में कि वे जाते हैं और मैं समझता हूं उनकी जांच उनका ही कोई पदाधिकारी या इंसपैक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस करता है। इस से कोई कठिनाई नहीं होती। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: हो सकता है कि सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस वहां न हो ।

डा० काटजू: अन्तिम क्षेत्राधिकार उस राज्य के इंस्पैक्टर जनरल पुलिस का होगा जिस से कि वह आया हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निर्णायक पदाधिकारी कौन होगा आरक्षी बल का सुपरिन्टैन्डैन्ट या उस जगह का सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस ?

डा० काटजू: कुछ बातों को हमें यों ही छोड़ देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४—(जोड़ने आदि का अधिकार)

श्री के० के० बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में पंक्ति २२ के बाद, यह निविष्ट किया जाये :

"Provided that in so amending the schedule, the powers of armed Police force shall not exceed what is laid down in this Act."

["परन्तु अनसुची को इस प्रकार संशोधित करने में, सशस्त्र आरक्षी बल के अधिकार उस से अधिक नहीं होंगे जो इस अधिनियम में उल्लिखित हैं ।"]

इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार अनसूची में संशोधन करने और उस में अन्य चीज़ें जोड़ने का अधिकार ले रही है ।

११ म० पू०

उपाध्यक्ष महोदय: इस के द्वारा किसी अधिनियम विशेष को संशोधित करने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

श्री के० के० बसु : दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं; केन्द्रीय सरकार को केवल यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये अधिनियमों को अनसूची में से निकाल सके या उस में बढ़ा सके। परन्तु, ये अधिनियम पूरे ही निकाले या रखे जायेंगे, उन का कोई भाग विशेष नहीं।

पंडित के० सी० शर्मा: इस में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है ।

श्री के० के० बसु : मान लीजिये किसी अधिनियम विशेष में कोई बड़ा अधिकार दिया गया है। तो हो सकता है उस पूरे अधिनियम को जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: जोड़ने या निकालने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री के० के० बसु: अनसूची में कुछ विद्यमान विधियां उल्लिखित हैं जिन के अन्तर्गत भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में सशस्त्र आरक्षी बल बनाये गये हैं। मान लीजिये बम्बई राज्य

एक नया विधान बनाता है जिस के अन्तर्गत सशस्त्र आरक्षी बल को अधिक अधिकार दे कर संघटित किया जाता है । तो अनुसूची में कोई ऐसा विधान सम्मिलित कर के सशस्त्र आरक्षी बल को उन से अधिक अधिकार दिये जा सकते हैं जो वर्तमान अनसूची के अन्तर्गत आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दशा में नया विधान स्वाभाविक रूप से वर्तमान कानून का स्थान ले लेगा ।

पडित ठाकुर दास भार्गव : विधि तो मूल राज्य द्वारा बनाई जाती है । इस विधेयक का सम्बन्ध केवल आरक्षी बल के अनुशासन से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुसूची में मूल अधिनियम तथा उस के सब संशोधन होंगे । यह बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार या संसद् यह अधिकार लेना चाहती है कि वह किसी राज्य विधान-मंडल को संशोधन नहीं करने देगी या कोई संशोधन किये जाने पर भी पुराने अधिनियम को ही जारी रखेगी ।

श्री के० के० बसु : मुझे एक भय और भी है । मान लीजिये कोई नया विधान बनाया जाता है । अब उस नये विधान को अनुसूची में सम्मिलित कर के सशस्त्र आरक्षी बल की बहुत अधिक अधिकार दिया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अधिकारों से तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक राज्य विधान-मंडल कोई आरक्षी अधिनियम पारित करता है या कोई आरक्षी बल की रचना करता है और उसे कुछ अधिकार देता है, तो हमें उन सब को स्वीकार करना होता है ।

श्री के० के० बसु : मेरा कहना यह है कि वे अमुक विधान अनुसूची में न जोड़े जायें ।

पडित ठाकुर दास भार्गव : क्यों नहीं ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस प्रकार के विधान में इस अमुक खंड के रखे जाने का कड़ा विरोध करता हूं । कार्यकारिका सरकार को इस प्रकार का अधिकार देने का अर्थ तो यह होगा कि हम उसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकार दे देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सामान्य सी बात है ।

विधि तथा अल्पसंख्यक मंत्री (श्री बिश्वास) : माननीय सदस्य खंड २ को देखें; उस से पता चल जायेगा कि यह अनुसूची क्यों आवश्यक है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन तो यह है कि सदन को ही अपने विधान में रूपभेद या संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये ।

श्री गाडगिल (पूना—मध्य) : अनुसूची में किसी अमुक अधिनियम के रखे जाने या उस में से किसी अधिनियम के निकाले जाने से वे अधिकार नहीं बढ़ते या घटते जो अमुक अधिनियम में पहले से ही दिये हुए हों ।

पंडित के० सी० शर्मा : इस विधेयक में सशस्त्र आरक्षी बलों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है । अतएव सशस्त्र आरक्षी बलों के अधिकारों के बढ़ाये जाने या घटाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : खंड के क्षेत्र तथा प्रभाव के बारे में कुछ विभ्रम हुआ प्रतीत होता है । जहां तक मैं समझा सका हूं सरकार द्वारा अनुसूची में उल्लिखित विधानों को संशोधित करने का कोई अधिकार

[श्री एन० सी० चटर्जी]

नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट कर देंगे।

डा० काटजू : इस विधेयक का उद्देश्य अति सीधा है। इस समय भारत के केवल ८ राज्यों के सशस्त्र आरक्षी वर्ग हैं। हो सकता है भविष्य में और राज्य अपने सशस्त्र आरक्षी वर्गों का निर्माण करें। ऐसी दशा में वे अपने आरक्षीवर्गों के आचार भरती आदि के विनियमन के लिये अपने अलग कानून बनायेंगे। हो सकता है कि इन आरक्षी वर्गों को पड़ोसी राज्य में जाना पड़े। खंड ४ द्वारा यह अधिकार लिया जा रहा है कि अनुसूची में कोई ऐसा नया विधान सम्मिलित किया जा सके जो कोई अन्य राज्य अपने आरक्षीवर्ग की रक्षा करने के हेतु पारित करे। जैसा कि मेरे मित्र श्री चटर्जी ने कहा, सरकार को कोई अधिकार दिये जाने या बढ़ाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अनुसूची रखने का अभिप्राय तो केवल यह है कि यह मालूम हो सके कि किन किन राज्यों में सशस्त्र आरक्षीवर्ग विद्यमान हैं। इस के अलावा, विधेयक का मुख्य खंड अधिकारों के सम्बन्ध में नहीं है; यह तो दायित्व तथा अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में है। मैं कहता हूं कि इस में आपत्तिजनक बात कोई नहीं है। यह संशोधन एक गलत अशंका पर आधारित है, अतः यह वापस ले लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को नियम-विरुद्ध घोषित करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"खड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

अनसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

खड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में बंगाल आरक्षी वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुशासनात्मक अपराध किया जाये और वही अपराध मध्य प्रदेश आरक्षीवर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाये तो एक की केवल तीन मास की कैद की सजा हो सकती है और दूसरे को सात वर्ष की। तो मेरा निवेदन यह है कि यह एक अनियमिता है जिसे दूर कियों जाना चाहिये। इस से तो सम्पूर्ण आरक्षी बल में अनुशासन भंग होने की संभावना है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इस अनसूची में कोई और अधिनियम इस सदन की सहमति के बिना न तो सम्मिलित किया जाना चाहिये और न ही उस में से निकाला जाना चाहिये।

एक बात मैं यह भी नहीं समझ पाया हूं कि यद्यपि आसाम में सशस्त्र आरक्षीवर्ग मौजूद है तथापि उस के लिये कोई विशेष अधिनियम नहीं है। उसका विनियमन १८८८ के अधिनियम द्वारा किया जाता है। आसाम में राज्य आरक्षीवर्ग अधिनियम क्यों नहीं है। क्या यह विधेयक में जानबूझ कर हीं रखा गया है या इस का कोई अन्य कारण

है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं इस पर कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने वाला नहीं हूं। केवल एक आध शंकायें विद्यमान हैं उन को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सभी सज्जनों ने जितने भी यहां पर हैं अपने अपने भाषण दिये हैं और हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय को साथ ले कर, केवल डिसिप्लन (अनुशासन) शब्द पर ही अपना भाव रखा है। परन्तु इस में अनुशासन की तरह एक उत्तरदायित्व भी विद्यमान है अर्थात् लाइबिलिटी (दायिता)। एक पुलिसमैन के दूसरे प्रान्त में जाने पर कितनी ही प्रकार की लायबिलिटीज हो सकती हैं। उस का दायित्व साधारण सामाजिक क्षेत्र में रहे, वह सिविल लाइबिलिटी रहे, डिपार्टमेंटल लाइबिलिटी रहे, यह कई प्रकार की उस की लाइबिलिटीज हो सकती हैं। और इन सब के सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है कि उस पर अपने प्रान्त का, अपने प्रदेश का जो कानून है वह लागू होगा। इस सम्बन्ध में एक विचार करने की बात यह है कि यदि उस ने वहां के नियमों के अन्दर लाइबिलिटी स्वीकार कर ली अब जो सम्बन्ध दो व्यक्तियों के बीच में है उस के लिये एक व्यक्ति को तो कानून लागू होगा उस प्रदेश का और जो पुलिस मैन दूसरे प्रदेश से चल कर वहां कार्य करने गया है उस पर कानून लागू होगा अपने प्रदेश का। ऐसी अवस्था में दो कानूनों में एक के अधिकार का और दूसरे के उत्तरदायित्व का जो आपस में मतभेद होगा उस का समाधान गृह मंत्री महोदय कर दें। यही मेरे मन में शंका है। वैसे तो मैं जानता हूं कि इस में न कोई अधिकार देने की बात है और न अधिकार लेने की बात है। एतावता इस बिल में कोई विरोध नहीं है। गृह मंत्री महोदय इस बात को पष्ट कर दें।

डा० काटजू: उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मेरी प्रस्थापना है कि अब इस विधेयक को अविलम्ब पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भ्रष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे नाम में पांच विधेयक थे। तीन तो हम निबटा चुके है; चौथा यह है मुझे आशा है कि पांचवां भी ठीक तरह से पारित हो जायेगा।

इस विधेयक का अभिप्राय मूल अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (१९४७ का अधिनियम २)—में कुछ संशोधन करना है। मैं संक्षेप में इन तीन चार संशोधनों का वर्णन करूंगा। एक संशोधन तो यह है: मूल अधिनियम के अन्तर्गत जांच करने का अधिकार डिप्टी सुपरिन्टैन्डैंट्स आफ़ पुलिस को दिया गया था। यह एक संज्ञेय अपराध है और सामान्यतया कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी थाने का प्रभारी हो, जांच शुरू कर सकता है। व्यावहारिक रूप में यह अनुभव किया गया कि इस से विशेष प्रकार शाखा (स्पेशल एनफ़ोर्समेंट ब्रांच) को, जो सारे भारत में इन मामलों की जांच करती रही है, अपने काम में रुकावट पड़ी। उन के पास कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं हैं; उस के

[डा० काटजू]

डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट्स आफ़ पुलिस की संख्या काफ़ी कम है। अतएव 'बख़्शी टेकचन्द कमेटी' ने इस मामले की जांच कर के यह सुझाव दिया है कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी पुलिस इंस्पैक्टर--ज्येष्ठ इंस्पैक्टर--की श्रेणी के हो सकते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को भी यह जांच का कार्य सौंपा जा सकता है। एक संशोधन तो यह है।

दूसरा संशोधन यह है : कलकत्ते में डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस नाम के कोई अधिकारी नहीं हैं; वहां डिप्टी कमिश्नर आफ़ पुलिस या ऐसिस्टैंट कमिश्नर आफ़ पुलिस होते हैं। अतएव इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है ऐसे क्षेत्रों में ये पदाधिकारी ही जांच करने को सक्षम हों।

सदन ने दंडविधि संशोधन विधेयक के अन्तर्गत--धारा १६५क के अधीन--एक नया अपराध निर्धारित किया है जो रिश्वत देने वालों से सम्बन्ध रखता है। मूल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक नये साक्ष्य नियम का उपबन्ध है जिसके अनुसार, यदि किसी पदाधिकारी को कोई बड़ी रकम दी जाये तो, यदि उक्त पदाधिकारी द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर न दिया जाये, यह समझ लिया जायगा कि यह रिश्वत है। अब चूंकि हम ने एक नई धारा--१६५क--अधिनियमित करदी है, अतः यह धारणा रिश्वत लेने वालों के सम्बन्ध में भी लागू होगी। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी अभियुक्त के विरुद्ध यह साबित हो गया हो कि उस ने किसी पदाधिकारी को १०,००० या ५,००० रुपये दिये हैं, तो, यदि रुपये देने वाला वह व्यक्ति कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सके, यह समझ लिया जायेगा कि इस प्रकार दी गई रकम रिश्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि मल अधिनियम के अन्तर्गत जो धारणा रिश्वत लेने वालों के सम्बन्ध में थी वह अब, इसके द्वारा, नई धारा १६५क के बन जाने के कारण, रिश्वत देने वालों पर भी लागू समझी जायेगी।

पंजाब उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि दंडनीय आचार अपराध नामक एक नया अपराध माना गया है। सदन को याद होगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सम्पत्ति पाई जाती है और वह सम्पत्ति उस की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक मालम होती है, तो, जब तक वह इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे दे, यह धारणा कर ली जाती है कि ऐसे व्यक्ति का आचार दोषपूर्ण है। पंजाब उच्च न्यायालय ने यह राय प्रकट की कि इस से भारतीय दंड विधान की धारा ४०९ वास्तव में रद्द हो गई है। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार का परिणाम किस प्रकार निकाल लिया गया। धारा ४०९ का सम्बन्ध तो दंडनीय विश्वासघात से है। अतएव इस विधेयक में एक धारा सम्मिलित कर के यह बतला दिया गया है कि इस नये अपराध से दंड विधान की किसी भी धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता।

मूल अधिनियम की धारा ६ में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया था। उस धारा के व्यावहारिक प्रवर्तन के सम्बन्ध में सन्देह किये गये हैं। अतः अब यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के सम्बन्ध में कोई सन्देह उठे तो ऐसा प्राधिकारी वह होना चाहिये जो किसी सरकारी कर्मचारी को — उस समय जबकि अपराध किया गया हो — पदच्युत करने को सक्षम हो।

ये चार पांच संशोधन हैं जिनके कि मूल अधिनियम में किये जाने की इस विधेयक में अपेक्षा है। इन में से दो तो नई धारा १६५क के अधिनियमित किये जाने के परिणामस्वरूप

किये जा रहे हैं और एक जांच करने के लिये पर्याप्त संख्या में डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट्स आफ़ पुलिस न होने के कारण बाकी के दो तो बहुत साधारण से विषयों के सम्बन्ध में ह।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जांये।"

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उतर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व): मैं माननीय गृह मत्री तथा भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार का दमन करने के लिये इतनी उत्सुकता दिखलाई जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं, इस का कोई विरोध नहीं किया गया। जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे केवल इसलिये हैं कि विधेयक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मेरा अपना विचार यह है कि यह विधेयक जिस मूल अधिनियम का संशोधन है, वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। यह तो मैं मानता हूं कि इस विधेयक से मूल अधिनियम अधिक प्रभावी हो जायेगा; परन्तु वह इतना अधिक प्रभावी नहीं होगा जितना कि माननीय गृह मंत्री आशा करते हैं।

जहां तक रिश्वत तथा भ्रष्टाचार रोकने का प्रश्न है, इस विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम में कई परिवर्तन किये गये हैं। उदाहरणार्थ, "दंडनीय दुराचार" नामक एक नया अपराध घोषित किया गया है। यह उपबन्धित किया गया है कि जो व्यक्ति रिश्वत आदि लेने का आदि हो उसे दंडनीय दुराचार का दोषी समझा जायेगा। मेरा प्रश्न तो यह है कि आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वह रिश्वत लेने का आदी है। दंड विधान संहिता में तो यह बात विशिष्ट रूप से उपबन्धित है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध विशेष का आदी बतलाया जाये, तो उसको आम शोहरत के बारे में गवाही पेश की जा सकती है। टेकचन्द कमेटी ने भी यह बात मान ली है कि धारा १६१ या १६५ या १६५ क के अधीन किये गये अपराधों को सिद्ध करना अति कठिन है।

इस संबंध में मैं सदन का ध्यान श्री गोरवाला द्वारा अपनी लोक प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में कही गई कुछ एक बातों पर दिलाऊंगा। पृष्ठ १६ पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित करवाने के लिए अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करना प्रायः कठिन हो जाता है, और फिर भी उस व्यक्ति के विरुद्ध जनता में निरन्तर चर्चा और संदेह चलते ही रहते हैं। उन्होंने हैदराबाद मितव्ययिता समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए आगे लिखा है कि 'उक्त समिति ने अध्याय १५ में लिखा है कि भ्रष्टाचार के अभियुक्त को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिये जो दूसरों के लिए सबक़ बन सके।' समिति यह भी लिखा है कि 'किसी कर्मचारी की आम शौहरत खास चीज़ है। ईमानदार पदाधिकारी के बारे में सदैव यह नहीं समझा जा सकता कि वह बेईमान है।' रिपोर्ट के अन्तिम वाक्य में यह कहा गया है कि इसमें सन्देह नहीं कि रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी प्रायः पकड़े जाने से बच जाया करते हैं क्योंकि दोष का पता लगाने के लिए कार्य-व्यवस्था पर्याप्त संतोषजनक नहीं है।

अतः श्री गोरवाला द्वारा कही गई इन बातों; तथा टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिपारिशों, को ध्यान में रखते हुए, मेरा सुझाव यह है कि संबंधित कर्मचारी की आम शौहरत के बारे में गवाही पेश करने की व्यवस्था इस विधेयक में भी की जाये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह

[श्री रघुवीर सहाय]

मेरे इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वामी द्वारा मुझे यह बतलाया गया है कि धारा १६५ क यहां सम्मिलित किया जाना समय से पहले की गई कार्यवाही समझी जावेगी । सदन ने अभी ही तो १६५क धारा पारित की है; अभी तो उसकी राज्य-परिषद् द्वारा स्वीकृति की जानी है और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जानी है । उस समय तक तो हमें इस विधेयक को उठा रखना होगा ।

डा० काटजू : यह बात मैं आपके निर्णय पर छोड़ता हूं । वैसे तो यह दोनों विधेयक ही राज्य-परिषद् में जाने हैं; फिर भी, यदि आप यह समझते हैं कि धारा १६५क पूर्णतः पुष्ट रूप में होनी चाहिये तब तो फिर इन धाराओं पर विचार इस समय नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आखिर, पहले से यह समझ लेना ठीक नहीं है कि राज्य-परिषद् इसे पारित कर ही देगी । हो सकता है राष्ट्रपति ही इस पर अपनी मंजूरी न दें—उस दशा में १६५क जैसी कोई धारा ही नहीं रहेगी ।

डा० काटजू : तो फिर इस विधेयक को उठा रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इस विधेयक पर विचार तब हो सकता है जब कि दूसरा पूर्ण रूप से स्वीकृत हो चुका हो ।

भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पर विचार प्रारम्भ करेगा ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम' १९३८, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

सन् १९३८ का भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम उस अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के फलस्वरूप बनाया गया है जिस पर भारत, पाकिस्तान (या उन दिनों के अविभाजित भारत), लंका और इंडोनेशिया के चाय उत्पादक संघों की ओर से हस्ताक्षर किये गये थे । इस करार का उद्देश्य चाय की विश्व मांग और विश्व प्रदाय में समता स्थापित करना था ताकि उस गंभीर स्थिति को टाला जा सकता जिस का कि उन दिनों चाय उद्योग को डर था । करार का मुख्य उद्देश्य यह था कि चाय की खेती के अन्तर्गत भूमि का तथा किसी चाय उत्पादक देश चाय के निर्यात का विनियमन किया जा सके । उत्पादक देशों के सहकारी प्रयत्नों से किये गये करार से होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए इन देशों की सरकारों ने करार की क्रियान्विति में पूर्ण सहयोग दिया तथा उस प्रयोजनार्थ आवश्यक विधान बनाना भी स्वीकार कर लिया । भारत ने इस प्रयोजनार्थ चाय नियंत्रण अधिनियम, १९३८, की रचना की ।

भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक में मूल अधिनियम के चाय की खेती के अन्तर्गत भूमि या चाय के निर्यात के विनियमन संबंधी किसी उपबन्ध को, उसे अधिक कड़ा या नर्म बनाने के प्रयोजन से, संशोधित करने की अपेक्षा नहीं है । इसके द्वारा तो मूल अधिनियम के केवल ऐसे उपबन्धों में संशोधन किया जा रहा है जो, १९३८ के बाद की कालावधि में, अधि-

नियम की सफल क्रियान्विति के दौरान में दोषपूर्ण पाये गये हैं।

भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति जिसके ऊपर इस अधिनियम के अधिकांश उपबन्धों को कार्यान्वित करवाने का काम छोड़ा गया था, की रचना १९३८ में हुई थी परन्तु अब तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। इस अधिनियम के अधिकाँश उपबन्धों को लागू करने का कार्य इसी समिति को सौंपा गया था। कुछ जगहों के—जैसे आसाम की घाटी, आसाम में कच्छर जिला, त्रिपुरा, त्रावनकोर-कोचीन को छोड़कर दक्षिण भारत, कांगरा, देहरादून और बिहार के—चाय-उत्पादकों को भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम की धारा ३ के अधीन भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति में अपने तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजने पड़ते हैं। युद्ध के दिनों में इस प्रकार का निर्वाचन करना यदि असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य समझा जाता था। अतएव सन् १९४३ में अधिनियम की धारा ३ संशोधित करनी पड़ी थी। इसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा ३ (२), जिसके द्वारा समिति के सदस्यों को युद्ध के दौरान में सदस्य रहे आने की अनुमति दी गई थी, समाविष्ट की गई। ऐसा उपबन्ध अब अनावश्यक तो है ही, परन्तु इसके अलावा इसके दुरुपयोग किये जाने का भी डर है। हो सकता है कि कोई सदस्य जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो उसके न चाहते हुए भी वह सदस्य रहा आये। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति में चाय-उत्पादकों का प्रतिनिधित्व समय समय पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाये जिन्हें वे चाहें, और इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि समिति का समय समय पर पुनर्निर्माण किया जाता रहे। विधेयक के खंड २ द्वारा अधिनियम में यही संशोधन करने की व्यवस्था की जा रही है।

विधेयक का खंड ३ भी उसी के परिणामस्वरूप है और उसका अभिप्राय भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति के नाम-निर्देशित या निर्वाचित सदस्यों की पदावधि को विनियमित करने के लिए नियम बनाना है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि जिन अनुबन्धों को खंड २ तथा खंड ३ के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है वे वांछनीय हैं और साथ ही हानिकारक भी नहीं हैं।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अनुसार ३१ मार्च १९५० को समस्त चाय-उत्पादक देशों के लिए, जो कि इस करार के पक्ष में हैं यह नियत कर दिया गया है कि वे कितनी एकड़ भूमि पर चाय की खेती कर सकते हैं। इसमें यह भी विहित है कि इस करार की कालावधि में, अर्थात् १ अप्रैल, १९५० से ३१ मार्च, १९५५ तक उतनी भूमि में जिसमें कि ३१ मार्च, १९५० को खेती की जाने की अनुमति थी ५ प्रति शत वृद्धि की जा सकती है। यदि कोई भूमि चाय की खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई हो तथा इस वजह से उस पर खेती करना बंद कर दिया गया हो तो उस में इसके अतिरिक्त १० प्रति शत वृद्धि और की जा सकती है।

इस समय अधिनियम की धारा २६ में यह अपेक्षा है कि यदि खेती के विस्तार के रूप में चाय उगाई जाये केवल तभी भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति से अनुमति ली जाये, स्थान या पौध की अदलाबदली करने के लिए नहीं। वैसे भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति स्थान या पौध की अदलाबदली के रूप में उगाई जाने वाली चाय के संबंध में भी अनुज्ञा दे रही है। यह समझा जाता है कि इस प्रथा को जारी रखना हितकर है। हमने, अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तर्गत वैध उपबन्धों को वर्तमान प्रथा के अनुकूल बनाने का जो आभार लिया है

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उस को पूरा करने के लिये अधिनियम की धारा २६ में, खंड ४ द्वारा संशोधन किया जा रहा है। इसके द्वारा कोई नई बात नहीं की जा रही है केवलमात्र वर्त्तमान प्रथा को पुष्ट किया जा रहा है ।

मोटी तौर से विधेयक इन दो बातों से संबंध रखता है । मैं नहीं समझता कि कोई भी सदस्य इन बातों पर आपत्ति करेगा । जहां तक भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति के, समय समय पर, फिर से बनाय जाने क संबंध है सभी सदस्य इ सिद्धांत को स्वीकार करते हैं । अब रही दूसरी बात, तो यह तो पहले से ही चली आ रही है । प्रथा को वैधानिक रूप दिया जा रहा है, कोई नई बात नहीं की जा रही है ।

मैं मानता हूं कि चाय अनुज्ञापन अधिनियम के परिपालन अथवा चाय नियंत्रण बोर्ड के कार्य-संचालन के तरीके के संबंध में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी सदन के सदस्यों द्वारा न्यायोचित आलोचना की जानी ठीक हो; परन्तु वह तो एक नितांत भिन्न बात है । इस विधेयक से किसी वर्तमान प्रथा के प्रतिकूल कार्यवाही की जाने की संभावना नहीं है । अतएव मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"चाय नियंत्रण अधिनियम, १९३८, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री ए० वी० टॉमस (श्री बैकुंठम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस समय चाय उद्योग को एक जबरदस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है, अत: यह अत्यावश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय नियंत्रण करार का पुनरावलोकन किया जाये और उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाये । चाय का उत्पादन परिव्यय तो बहुत बढ़ गया है और कीमत बहुत गिर गई है । इस गम्भीर स्थिति पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

हमारे देश में जितनी चाय उत्पन्न होती है उसका केवल २० प्रतिशत भाग देश में खपता है, शेष ८० प्रतिशत के लिए हमें अन्य देशों में बाजार ढूंढने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी बाजार में प्रतियोगिता होने के फलस्वरूप भारतीय चाय उत्पादकों को अपनी चाय की उचित कीमत प्राप्त करना कठिन हो गया है । यदि चाय उद्योग को सहायता देने के लिये तुरन्त पग न उठाये गये तो उद्योग संकट में पड़ जायगा ।

जैसा कि मैं ने पहले कहा भारत में उत्पादित कुल चाय का ८० प्रतिशत भाग बाहर भेजा जाना होता है । इस से हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम विदेशों में चाय का बाजार हाथों से न जाने दें; यदि एक बार यह हाथ से निकल गया तो दोबारा आना अति कठिन है ।

मेरा सुझाव है कि संबंधित विभाग इन सवालों की जांच करें तथा उद्योग को यथाशीघ्र सहायता दें । निर्यात तथा आयात शुल्क खत्म कर दिये जायें। उद्यान संबंधी अधिनियम चाय उद्योग की स्थिति सुधरने तक उठा रखे जावें ।

बगीचों में काम करने वाले मजदूर बड़े परिश्रमी होते हैं। सच तो यह है कि इन बेचारों ने बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेली हैं। वे सरकार से केवल तभी सहायता मांगते हैं जब वे सब ओर से मुसीबतों से घिर जाते हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि उनकी सहायता की जाये । जैसा कि मैं ने पहले कहा, अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार को शीघ्रातिशीघ्र लागू

किया जाये और शेष देशों को भी इस योजना में शामिल किया जाये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रंग) : चाय के बागों में कई प्रकार से चाय उगाई जाती है । जैसे यदि कुछ पौधे मर जाते हैं तो उनका स्थान भरने के लिए नयी पौध लगाई जाती है । दूसरा यह कि जिस क्षेत्र से पेड़ उखाड़ दिये गये हों वहां नई पौध लगाई जाती है । तीसरा तरीका यह है कि एक स्थान से पौधे उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाये जाते हैं । पहले यह उपबन्ध था कि यदि चाय उत्पादक चाय की खेती में २ प्रति शत वृद्धि करे तो उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी । परन्तु अब भारत सरकार इस संशोधन द्वारा यह बात भी अपने अधिकार में लेना चाहती है ताकि यदि कोई व्यक्ति पौध को इधर उधर बदले या एक के स्थान पर दूसरी पौध लगाये तो उसे चाय अनुज्ञप्ति समिति से अनुमति लेनी पड़े । मैं समझता हूं यह भी ठीक ही कदम है ।

जैसा कि आप जानते हैं, पहले त्रिदलीय सम्मेलन हुए थे और उन सम्मेलनों में हमने बगीचों में काम करने वाले मजदूरों के सवाल पर चर्चा की थी । उस समय हमें यह ज्ञात करके बड़ा आश्चर्य हुआ था कि चाय के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी शोचनीय है । इन बातों के कारण चाय उद्योग ने अपने मजदूरों की हालत सुधारना स्वीकार कर लिया । गत अक्तूबर में उद्यान अधिनियम (प्लान्टेशन एक्ट) पारित किया गया । इस अधिनियम के अधीन चाय उद्योग पर कुछ आभार आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सब बातें यहां संगत हैं ? हम तो एक संशोधक विधेयक पर विचार कर रहे हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं अभी इन बातों का संबंध बतलाता हूं, श्रीमान् । मैं अभी यह कह रहा था कि बगीचों में काम करने वाले मजदूरों की ऐसी खराब दशा थी । फिर प्रश्न यह उठा कि उन लोगों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की जाये । चाय उद्योग ने यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया । कुछ छोटे २ बगीचे ऐसे थे जो आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं थे । ऐसे उद्यानों के लिये अस्पताल कैसे खोले जा सकते थे ? यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि इन मजदूरों की दशा में सुधार करना है और अस्पताल स्थापित करने हैं तो इन छोटे २ बगीचों का प्रसार करना होगा ।

हाल ही में कुछ चाय के बगीचों में काम करने वालों को यह सूचना दी गई है कि उक्त उद्यान बन्द किये जा रहे हैं । मुझे पता लगा है कि कच्छर में कुछ अनार्थिक उद्यान तो बन्द हो भी चुके हैं । होना यह चाहिये कि इन छोटे छोटे उद्यानों को बढ़ने दिया जाये ताकि इन नियमों के लागू होते ही वे भी अस्पताल बनाने आदि के दायित्व को ग्रहण कर सकें । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब वह इन बगीचों के प्रसार की अनुमति दे तो बड़े बगीचों को छोटे बगीचों की तुलना में अधिक प्रति शत प्रसार करने की इजाज़त न दे ।

हाल में चाय की कीमत गिर जाने के कारण उद्योग ने सरकार से एक जांच समिति की स्थापना करने की मांग की । यह बतलाया जाता है कि यह समिति बन भी चुकी है । मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस समिति का क्या कार्य होगा ; परन्तु इस में मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं हैं । यदि समिति कोई ऐसी सिपारिश करे जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध हो तो उस दशा में सरकार को चाहिये कि मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करे । जहां तक चाय की कीमत का सवाल है, मैं समझता हूं कि सरकार को एक सम्मेलन बुलाना चाहिये

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

जिस में ऐसे सब देशों के प्रतिनिधि हों जो चाय पैदा करते हैं और बाहर भेजते हैं। इस सम्मेलन में चाय की कीमत को स्थिर करने के उपाय ढूंढे जायें। अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति तो खामोश बैठी है; वह इस सम्बन्ध में कोई पग नहीं उठा रही है। ऐसा क्यों है? यदि वास्तव में कोई संकट होता तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति हाथ पर हाथ रखे बैठी रह सकती थी? यदि आप चाय की कीमत को स्थिर नहीं करते तो मजदूरों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। अतएव मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा सम्मेलन यथाशीघ्र बुलाया जाये जिस में इस पहलू पर विचार किया जाये।

युद्ध के उपरान्त ऐसा देखा गया है कि चाय के बगीचों में देखरेख सम्बन्धी लागत बहुत बढ़ गई है। हाल में, न्यूनतम मजूरी समिति में, मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मजदूरों को कुल लागत में से १७ प्रति शत रुपया मिलता है। यह वास्तव में बहुत कम है। अतएव मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह एक जांच समिति या जांच आयोग नियुक्त करे जो चाय उद्यानों में लागत के सवाल की जांच करे। मैं ने सुना है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ जांच पड़ताल चालू है और किसी ओर से ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि यह अधिनियम रद्द कर दिया जाये। श्रमिकों को रियायती दर पर राशन दिया जाता है। मैं ने सुना है कि चाय उद्योग यह कह रहा है कि यह राशन व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये। परन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि देखरेख की लागत भी कम की जाये।

लखनऊ में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया कि सरकार चाय, जूट और कपड़े के उत्पादन परिव्यय की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करे। जूट और कपड़े के विषय में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, हां चाय के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आयोग स्थापित नहीं किया है। सरकार को चाहिये कि एक आयोग द्वारा चाय उत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय परिव्यय तथा मूल्य के सम्बन्ध में तथ्य पता लगवाये। बड़े बड़े सार्थों पर, जिन्हें इस व्यापार में एकाधिकार प्राप्त है, दबाव केवल तभी डाला जा सकता है जब कि उक्त तथ्य पता हों। तथ्य जाने बिना, दो व्यक्तियों की समिति नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं ने आज तक यह बात नहीं सुनी कि कोई जांच समिति--बिना तथ्य पता लगाये--इसलिये नियुक्त की गई हो कि वह यह जांच करे कि क्या मजदूरों की न्यूनतम मजूरी कम की जा सकती है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसी किसी रिपोर्ट का न माने जिसमें मजदूरों की न्यूनतम मजूरी घटाने की सिफारिश की गई हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार, स्थिति के प्रति जागरूक हो कर, मेरे द्वारा सुझाये गये आयोग तथा समिति नियुक्त करेगी और चाय उत्पादक देशों का एक सम्मेलन बुलायेगी।

श्री वेंकटारमन (तंजोर): माननीय मंत्री ने चाय नियंत्रण अधिनियम का जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह --जहां तक समिति के सदस्यों की पदावधि का सम्बन्ध है--स्वागत के योग्य है। परन्तु, जहां तक चाय नियंत्रण अधिनियम की धारा २६ में संशोधन करने का प्रश्न है, मैं चाहता हूं सदन और सरकार इस पर पूरा पूरा ध्यान दें।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार १९३३ में--या इसके आसपास--किया गया था। तब

से हम हर पांच साल के बाद इसकी अवधि में वृद्धि करते आ रहे हैं। चाय नियन्त्रण अधिनियम की वर्तमान अवधि १९५५ में समाप्त होगी।

इस अधिनियम के अधीन कोई भी चाय उत्पादक चाय की खेती की भूमि में एक वर्ष में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। जहां तक पौध के बदले जाने का प्रश्न है, कोई भी उत्पादक एक वर्ष में दो प्रतिशत से अधिक भूमि पर अदला-बदली नहीं कर सकता। दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया के अनेक चाय उत्पादक देश इस अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के पक्ष नहीं हैं। वे देश चाय की खेती में मनमानी वृद्धि कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। यदि मेरी जानकारी सही है, तो कुछ यूरोपियन चाय उत्पादक भारत में अपने चाय के बगीचों को बेच रहे हैं और पूर्वी अफ्रीका आदि देशों में—जो उक्त करार के पक्ष नहीं हैं—चाय की खेती में विस्तार कर रहे हैं। वे तो ऐसा कर सकते हैं, परन्तु हमारे देश के छोटे छोटे चाय उत्पादक बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी खेती में विस्तार नहीं कर सकते।

सरकार को चाहिये कि वह इस स्थिति पर यथाशीघ्र ध्यान दें और सब बातों के प्रकाश में इस प्रश्न पर गौर करे कि क्या हमारा अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार का पक्ष रहा आना उचित है। इस करार के पक्ष होने के नाते हमें 'अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार बोर्ड' को कोई ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष देने होते हैं। लेकिन इस के बदले में हमें क्या मिलता है? रुपया तो हम देते हैं, लेकिन बोर्ड के प्रचार का फायदा अन्य देश उठाते हैं। आस्ट्रेलिया या यूरोप में लोग यह तक नहीं जानते कि भारत भी चाय उगाता है। यदि यह ५० लाख रुपये भारतीय चाय के प्रचार पर व्यय किये जायें तो भारतीय चाय उद्योग को अत्यधिक लाभ पहुंच सकता है। यद्यपि दुनिया के कुल चाय उत्पादन का आधा भाग भारत में उत्पन्न होता है, तथापि भारतीय चाय का कोई प्रचार नहीं है। हम उक्त बोर्ड को जो ५० लाख रुपये सालाना दे रहे हैं उसका फायदा तो यूरोपियन सार्थ उठा रहे है।

अतएव यह अत्यावश्यक है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की वर्तमान अवधि के समाप्त होने तक यह निर्णय करले कि अब वह करार को पुनः लागू नहीं करेगी। यदि हमारे चाय उत्पादक खेती में वृद्धि कर सकें तो यह हमारे लिये लाभदायक सिद्ध होगा। लंका में जो भारतीय श्रमिक कष्ट झेल रहे हैं, वे उस दशा में, यहीं खप सकते हैं। मैं जानता हूं कि यूरोपियन स्वत्व इस सुझाव की कटु आलोचना करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वे, अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की आड़ में, इस व्यापार में क्या कुछ कर रहे हैं। भारतीय चाय के नाम में वे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यदि सरकार साहस से काम न लेगी और उक्त करार को जारी रखने के दुष्परिणामों को नहीं समझेगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचने की सम्भावना है।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई और है। गत वार जब हम 'उद्योग विकास तथा नियन्त्रण विधेयक' पर चर्चा कर रहे थे तो मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के पूर्वाधिकारी ने कहा था कि वह शीघ्र ही सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिस में चाय उद्योग पर सरकार द्वारा नियन्त्रण किये जाने की व्यवस्था होगी। मूल विधेयक में, जो डा० मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, चाय का मद था। बाद में वह विधेयक छोड़ दिया गया और योजना आयोग द्वारा किये गये सुझावों के

[श्री वेंकटारमन]

प्रकाश में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया । नये विधेयक की अनुसूची में भी चाय उल्लिखित थी । परन्तु प्रवर समिति में पहुंच कर चाय का मद अनुसूची में से निकाल दिया गया । इसके कारण क्या थे, यह तो मैं नहीं जानता । मेरा कहना यह है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में चाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है ; अतः 'उद्योग विकास तथा नियन्त्रण विधेयक' में चाय का उल्लेख होना आवश्यक है । यदि इस पर सरकार का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण रहेगा तो सरकार को पता लगेगा कि चाय उद्योग में संलग्न यूरोपियन व्यापारी इस करार को जारी रखने का आग्रह क्यों करते हैं और करार देश के लिये किस प्रकार अहितकर है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अन्य देशों ने - जो इस करार के पक्ष हैं—करार का कहां तक पालन किया है । क्या उन्होंने चाय की खेती में स्वीकृत सीमा से अधिक वृद्धि नहीं की है ? कौन वह प्राधिकारी है जो इस सब की जांच करता है ? कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है । होता यह है कि सब देशों के प्रतिनिधि पांच वर्ष में एक बार मिलते हैं और इसे पुनः पांच वर्ष के लिये बढ़ा देते हैं । मैं समाझता हूं कि इस बार माननीय मंत्री करार की अवधि में पुनः वृद्धि करने से पहले इसके सब पहलुओं की विस्तृत जांच अवश्य करेंगे ।

श्री दामोदर मनन (कोझिकोडि) : जहां तक इस विधेयक का चाय नियन्त्रण अधिनियम की धारा २६ में संशोधन किये जाने से सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र श्री वेंकटारमन से पूर्णतः सहमत हूं । इस विधेयक के समर्थन में माननीय मंत्री ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय चाय क़रार के अन्तर्गत आभार की पूर्ति के लिये यह संशोधन ज़रूरी है । मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलाया कि उक्त करार हमारे लिये किस प्रकार हितकर है । मैं देश के एक ऐसे भाग से सम्बन्ध रखता हूं जहां अनेक चाय-उद्यान हैं । मैं जानता हूं कि वहां ऐसी बहुत सी भूमि खाली पड़ी हुई है जहां चाय की खेती हो सकती है । जब तक सभी चाय-उत्पादक देश इस क़रार के पक्ष नहीं हो जाते, तब तक इस से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता । मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस संशोधन द्वारा यह प्रयत्न क्यों कर रहे हैं कि हमारे आभारों का कड़ाई के साथ पालन हो । जैसी कि इस समय स्थिति है, खेती में थोड़ा बहुत विस्तार करने की अनुमति है । अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस संशोधन को क्यों ला रहे हैं ।

यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति हो तो हमें ऐसी खाली पड़ी भूमि पर भी खेती का विस्तार करना होगा । अतएव हमारा यह तो लक्ष्य होना ही चाहिये कि हम इस करार से यथाशीघ्र छटकारा पायें; परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इस बीच हम कोई ऐसी कार्यवाही भी न करें जिससे खेती में विस्तार करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाये ।

केन्द्रीय सरकार चाय अनुज्ञप्ति समिति के सदस्यों की पदावधि विनियमित करना चाहती है । यह, निस्सन्देह, एक अच्छा विचार है । मैं जानना चाहता हूं कि हम केन्द्रीय सरकार को बोर्ड के सदस्यों की पदावधि विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार कब दे रहे हैं । क्या ये नियम सदन के विचारार्थ भी रखे जायेंगे ? यदि बोर्ड की सदस्यता की अवधि तीन वर्ष निश्चित कर दी जाये तो ठीक होगा । मेरा सुझाव है कि उक्त नियम बन जाने पर सदन पटल पर रखे जायें और सदन की स्वीकृति के अधीन हों ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : इस विधेयक को पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस में सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे यूरोपियन स्वत्वों का लाभ पहुंचेगा, भारतीय चाय-उत्पादकों या चाय के बगीचों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को नहीं। विधेयक के "कारणों और उद्देश्यों के विवरण" में बतलाया गया है कि इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय चाय क़रार के अधीन जो दायित्व स्वीकार किया है उसको अधिक कड़ाई के साथ निभाया जा सके और उस प्रयोजनार्थ यह प्रश्न भी चाय अनुज्ञप्ति समिति की स्वीकृति के अधीन रखा जा सके। यह चाय अनुज्ञापन समिति क्या है ? इस समिति में केवल चाय उद्योगपति और चाय उत्पादक हैं। सरकार तक का इस में कोई हाथ नहीं है। इस समिति में जिन-जिन संस्थाओं द्वारा नामनिर्देशित सदस्य रहते हैं उन संस्थाओं पर पूर्णतः यूरोपियन सार्थों का प्रभाव है। अतः खेती में विस्तार आदि करने का सम्पूर्ण अधिकार व नियन्त्रण जो इस विधेयक द्वारा उक्त समिति को दिया जा रहा है, वास्तव में यूरोपियन स्वत्वों को मिल जायेगा। यह तो यूरोपियनों को मनमानी करने की छूट देना होगा।

इस बात को मानते हुए भी कि भारत में उत्पादित चाय का केवल २० प्रतिशत भाग भारत में खपता है, शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर भेजना होता है, यह कहा जा सकता है कि देश में हम लोगों को चाय पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। देश के अनेक भाग में आजकल चाय का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। यद्यपि इस उद्योग में बहुत अधिक विस्तार होने की गुंजाइश है, फिर भी हम देखते हैं कि चाय के बगीचों में काम करने वाले लाखों मज़दूर शोचनीय दशा में दिन काट रहे हैं। ऐसी दशा में जब कि इस उद्योग को बड़ी आसानी के साथ बढ़ाया जा सकता है और इन बेचारे मज़दूरों की दशा में सुधार किया जा सकता है, सरकार सम्पूर्ण अधिकार एकाधिकारप्राप्त यूरोपियन सार्थों के हाथ में दे रही है। यह एक अजीब सी बात लगती है। अतएव इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार चाय उद्योग से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या पर तुरन्त ध्यान दे और उसकी जांच करके कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे जिसके द्वारा सम्पूर्ण कार्यव्यवस्था नये सिरे से संगठित हो सके और चाय उद्योग को पूर्ण सहयोग दिया जा सके।

जब तक चाय के बगीचों में काम करने वाले ग़रीब मज़दूरों की दशा नहीं सुधारी जाती तब तक अनुज्ञापन समिति को अतिरिक्त अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। यदि संशोधक विधेयक द्वारा धारा ३ में यह संशोधन किया जाता कि चाय अनुज्ञप्ति समिति में चाय उद्योग के प्रतिनिधि हों, तब तो यह बात उचित समझी जा सकती है। इस समिति में भारतीय चाय-उत्पादकों के तो बहुत ही कम प्रतिनिधि हैं। हो सकता है दो-तीन दक्षिण भारत के हों और एक-आध उत्तर भारत में से किसी स्थान का हो, परन्तु सारवान् प्रतिनिधित्व यूरोपियनों का ही है।

नीलगिरि और अन्नमलयि पहाड़ियों के चाय उद्योगों में तो "न्यूनतम मजूरी अधिनियम" तक पर नहीं चला जा रहा है। जब मैं वहां गया तो मज़दूरों ने मुझे बतलाया कि उत्पादक अब यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मज़दूरों को जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं उन्हें भी कम कर दिया जाये। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सारे मामले को इस समय तो उठा रखा जाये और बाद में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिस में इन सब बातों का उचित ध्यान रखा जाये। चाय उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों के बारे में तथा उक्त

[श्री नम्बियार]

उद्योग में विस्तार किये जाने के क्षेत्र के बारे में हम आंकड़े आदि देने को तैयार ह । हम भारतीय स्वत्वों की सहायता करने को भी प्रस्तुत हैं जिससे विदेशी एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके । भारतीय चाय उद्योग को तो भारतीय मज़दूरों की भलाई के लिये कार्य करना चाहिये । अतएव मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस सारी समस्या पर पुनर्विचार किया जाये ।

श्री बुरूआ (नौगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब वाद-विवाद समाप्त किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब वाद-विवाद समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं क्योंकि उन में से अधिकांश ने इस का समर्थन ही किया है । जैसा कि मैं ने पहले बतलाया, इस विधेयक के दो भाग हैं । जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं उस पर किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती । इस सदन में कोई भी व्यक्ति वर्तमान चाय अनुज्ञप्ति समिति के शाश्वत बनाये जाने का हामी नहीं है । एक प्रश्न यह उठाया गया था कि नई समिति कितने समय तक कार्य करेगी । उसकी समयावधि की सीमा तो हो ही गई क्योंकि वर्तमान अधिनियम १९५५ में व्ययगत होगा ; कोई समिति तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकती । फिर भी हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। श्री दामोदरन ने मांग की कि नियम सदन पटल पर रखे जायें । निश्चय ही सदन को इन नियमों का ज्ञान कराया जायेगा ; परन्तु यह कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है : क्योंकि हम समिति का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और क्योंकि समिति दो वर्ष या हो सकता है कि तीन वर्ष—इस से अधिक नहीं—कार्य करेगी, अतः यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ।

जहां तक धारा २६ के संशोधन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ ग़लत डर बैठ गया है । जहाँ तक पौधों की तथा उनके लगाये जाने के स्थान की अदलाबदली का सम्बन्ध है, इस विधेयक द्वारा कोई नया आभार नहीं लगाया जा रहा है । पुरानी धारा में ऐसी अदलाबदली की कुछ सीमा निर्धारित है । अब यह किया जा रहा है कि ऐसा करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाये । स्पष्ट है कि इस के फ़ायदे भी हैं और नुक़सान भी । परन्तु, वास्तव में बात ऐसी है कि यदि हम पहले से चली आ रही प्रथा को वैधानिक रूप न दें, तो सम्भव है कि जिस प्रकार इस रियायत का कोई फ़ायदा गत दो वर्षों में नहीं उठाया गया उसी प्रकार बाक़ी के तीन वर्षों में भी न उठाया जाये । अतएव जहां तक मैं समझता हूं, एक चालू प्रथा को वैधानिक रूप दिया जाना सम्बन्धित व्यक्ति को फ़ायदा ही पहुंचायेगा ।

अनेक सदस्यों ने यह पूछा कि क्या हमारा अन्तर्राष्ट्रीय चाय क़रार का पक्ष रहे आना ठीक है । मैं कहता हूं कि यह तो एक नितान्त भिन्न प्रश्न है । मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि इस अमुक विधेयक का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस के पारित हो जाने मात्र से हम उस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से, जिस के कि हम सदैव पक्ष रहे हैं, बन्ध नहीं

जायेंगे। मैं मंत्री होने के नाते अपने आप को इस व्यवस्था से सदा के लिये बंधा नहीं समझता।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल––पश्चिम कटक): तो फिर आप इस क़रार को रद्द क्यों नहीं कर देते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस विषय में मेरे अपने विचार हैं और जब तक मैं यहां हूं, मैं इस बात का निर्णय कर सकता हूं कि कोई बात कब और कैसे की जाये। हो सकता है माननीय सदस्य श्री सारंधर दास इस ओर आकर अपने प्रभाव से ऐसा कराने में जल्दी सफल हो जायें।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): क्या हम, विरोधी दल के सदस्य, विभिन्न विभागों के प्रभावी मंत्रियों पर प्रभाव नहीं डाल सकते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य अपना प्रभाव डाल सकते हैं परन्तु यह तो इस बात पर निर्भर ....

उपाध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष को यह हक्क है कि वह सरकार को अपने विचार बतला सके और सरकार को भी उन पर ध्यान देना होगा। परन्तु सरकार उन्हें मानने को बाध्य नहीं होगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि परामर्श वास्तव में उपयुक्त होगा तो उसे हम अवश्य स्वीकार कराने के लिऐ रखेंगे।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय चाय क़रार के सम्बन्ध में अपनी स्थिति की चर्चा कर रहा था। मैं अपने आप को तथा सरकार को क़रार भंग करने को बाग्बद्ध नहीं कर सकता। इस क़रार के पक्ष होने से हमें कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी। हां, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि स्थिति पर विचार अवश्य किया जायेगा।

अब मैं श्री वेंकटारमन् द्वारा उठाये गये इस प्रश्न को लूंगा कि ५० लाख रुपये विज्ञापन के लिये दिये जाते हैं। मान लीजिये कि कोई सुसंगठित व्यापार-संस्था अपनी किसी वस्तु का विज्ञापन करती है। तो यह स्वाभाविक ही है कि वही वस्तु बनाने वाली अन्य छोटी छोटी संस्थायें फ़ायदा उठाती हैं। व्यापर में ऐसा तो होता ही है। यदि हम केवल भारतीय चाय का ही प्रचार करें तो भी लोग लंका, चीन या इंडोनेशिया की चाय का तिरस्कार नहीं करने लगेंगे। यह बात कोई हमारे हाथ में नहीं है। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटारमन् तथा अन्य माननीय सदस्यों का तर्क ऐसा है जिसे मानने से हम इनकार नहीं कर सकते। इस समस्या का भी हम अवश्य पुनरावलोकन करेंगे। परन्तु, जैसा कि इस ओर के तथा उस ओर के भी सदस्य जानते हैं, ऐसा करने में हमें कुछ समय लगेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री त्रिपाठी ने कुछ अच्छे और रोचक सुझाव रखे हैं। श्री त्रिपाठी चाय उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों के प्रति जो दिलचस्पी रखते हैं वह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उन की इस दिलचस्पी का श्रमिकों द्वारा और इस सदन के सदस्यों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है। इसके साथ साथ मैं उनके मन में से यह बात भी निकाल देना चाहता हूं कि जो छोटी समिति आजकल चाय उद्योग द्वारा की गई मांगों की जांच कर रही है वह ऐसी कोई बात कर सकती है जो वह समझते हैं। सरकार के दो पदाधिकारी मौक़े पर जाकर स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि न तो उक्त समिति ऐसी कोई सिपारिश करेगी, और न सरकार ऐसी किसी सिपारिश को स्वीकार ही करेगी, जिससे मज़दूरों की स्थिति में तनिक भी अन्तर आता हो। समिति को मजरी के प्रश्न की जांच करने का काम तो सौंपा ही नहीं गया है। वह तो केवल यह जानना

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

चाहती है कि आजकल उद्योग के कुछ भागों में जो तनातनी चल रही है उसे किस प्रकार कम किया जाये। निस्सन्देह, जैसा कि श्री टॉमस ने बतलाया, चाय उद्योग विभिन्न शुल्कों के हटाये जाने की मांग कर रहा है। चाय उद्योग उत्पादन-शुल्क नहीं चाहता। वह निर्यात शुल्क भी नहीं चाहता। यह बात तो हर उद्योग के सम्बन्ध में कही जा सकती है। कोई भी उद्योग शुल्क लगाया जाना पसन्द नहीं करता। वे समझते हैं कि निर्यात शुल्क के हटाये जाने से उस वस्तु का व्यापार विदेशों में बहुत बढ़ जायगा। परन्तु, वास्तव में ऐसा नहीं होता। बहुत सम्भव है कि निर्यात-शुल्क के हटा लिये जाने पर भी बाहर जाने वाली चाय की मात्रा लगभग उतनी ही रहे जितनी कि अब रहती है, और दूसरी ओर सरकार भी निर्यात शुल्क से होने वाली आय से वंचित रह जाये। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा ही किया जाना है। आखिर, जब सरकार को किसी उद्योग से आय होती है तो उस अमुक उद्योग की आवश्यकतायें भी सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। उद्योग को कुचला तो जा नहीं सकता। अतएव यह ज्ञात करने की अन्तिम जिम्मेदारी कि निर्यात-शुल्क या उत्पादन-शुल्क का चालू रहा आना किसी उद्योग विशेष के हित में है या अहित में, सरकार के ऊपर ही है। सम्भवतः यह समिति हमें उस सम्बन्ध में तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर परामर्श देगी। परन्तु मैं श्री त्रिपाठी को यह आश्वासन देता हूं कि हम किसी भी प्रकार मज़दूरों की हालत बदतर नहीं होने देंगे। हां, यदि सम्भव हुआ तो हम उन की दशा में सुधार ही करेंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू किये जाने की चर्चा की। यह आसाम में लागू कर दिया गया है और दक्षिण भारत में किया जायेगा, यद्यपि उन्होंने कहा कि हम श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये शाब्दिक सहानुभूति मात्र दिखला रहे हैं। हम तो श्रमिकों की वास्तविक सहायता करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि इसके लिए अवसर भी शीघ्र ही आयेंगे।

मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें उठाई गई हैं जिनका सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव से कोई संबंध ही नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस विधेयक द्वारा चाय उद्योग या भारतीय चाय अनुज्ञप्ति समिति द्वारा किये जाने वाले नियन्त्रण के संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक का अभिप्राय तो स्थिति का विनियमन करना है। इससे उद्योग को भी कुछ लाभ पहुंच सकता है।

मुझ से पूछा गया है: सरकार यह क्यों नहीं पता लगा पाई कि अन्य देश, जो इस क़रार के पक्ष हैं, क्या कर रहे हैं? आप भी वैसा ही क्यों नहीं करते? मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सुझाव है जो किसी सरकार को गंभीरतापूर्वक नहीं दिया जा सकता। जो सरकार किसी क़रार को मान चुकी है उसको उस क़रार पर चलना ही होगा। यदि वह यह समझती है कि वह क़रार उसके लिये हानिकारक है तो उसे इस बात की सूचना देनी होगी कि अब वह इस क़रार को जारी नहीं रखना चाहती। हम किसी विशेष वर्ग के लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए अनुचित तरीक़े नहीं अपना सकते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई उद्योग ऐसे तरीक़े अपनाले, परन्तु एक सरकार—विशेष रूप से कांग्रेस सरकार—ऐसा नहीं कर सकती।

मझे आशा है कि सदन विचारार्थ प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मुझे औचित्य प्रश्न के संबंध में कुछ कहना है, श्रीमान्। मेरा निवेदन यह है कि सदन इस विधेयक पर विचार करने को सक्षम नहीं है क्योंकि इस विधेयक द्वारा लोगों को चाय उगाने या चाय की खेती में विस्तार करने से रोका जा रहा है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद १९ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :—

"सब नागरिकों को——

.....

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,

अधिकार होगा ।

कृषि और चाय का उगान व्यापार तथा उपजीविका के अन्तर्गत हो आते हैं। उप-खंड ६ में दिया गया अपवाद इस प्रकार है :

> "उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्त्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्त्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी....."

मैं आपका ध्यान "साधारण जनता के हितों में" शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सदन में बार बार यह बतलाया गया है कि वर्त्तमान व्यवस्था साधारण जनता के हितों में नहीं है, किंतु यूरोपियन व्यापारियों के हित में है। तो यह उपखंड ६ भी लागू नहीं होता। एक और अनुच्छेद जिसका हम सहारा ले सकते हैं, २५३ है जिसमें लिखा है :—

> "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई संधि, क़रार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।"

परन्तु इस संबंध में मैं आपका ध्यान "इस अध्याय" शब्दों की ओर आकर्षित करूंगा । वह अध्याय संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति से संबंध रखता है। यदि भारत संघ ने, किसी अन्तर्राष्ट्रीय क़रार के अन्तर्गत कोई आभार स्वीकार कर लिया है तो किसी राज्य की विधि संसद् को कोई ऐसी विधि पारित करने से नहीं रोक सकती जो वह ऐसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय क़रार के अनुसार पारित करे। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल सद्धांतों के प्रतिकूल है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो केवलमात्र अनुच्छेद १९(६) का अर्थ निकालने का प्रश्न है। सक्षम व्यक्ति अनुच्छेद १९ (६) का निर्वचन कर सकते हैं और यह अधिनियम बाद में शक्ति परस्तात् घोषित किया जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह एक महत्व-पूर्ण वैध प्रश्न है और इस पर ध्यान दिय जाना चाहिये। यदि इस समय बैठक स्थगित कर दी जाये तो अच्छा होगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं आपके निर्णय पर कोई अनुचित प्रभाव डाले बिना यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, कि इस जैसे मामले में—जहां सक्षमता का प्रश्न उठाया गया हो— किसी विधान को

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

शक्ति परस्तात् या अन्यथा घोषित करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सदन की बैठक इस समय स्थगित करने में कोई आपत्ति नहीं है । हम इस औचित्य प्रश्न को कल तक के लिए उठा रख सकते हैं । परन्तु मैं इतना कहूंगा कि यह प्रश्न कोई ठीक नहीं है । हम 'उद्योग नियंत्रण विधेयक' पारित कर चुके हैं । यह बात उसके संबंध में भी कही जा सकती थी । इसी प्रकार अनुच्छेद १९(६) की ओर निर्देश किया गया है । इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ३६ करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है । इसका प्रभाव तो जनता के एक भाग पर पड़ रहा है । खैर मैं इस प्रश्न में नहीं पड़ रहा हूं कि इसका प्रभाव यूरोपियनों या किसी अन्य वर्ग पर पड़ेगा । प्रभाव चाहे किसी पर पड़ता हो, जब तक वे जनता के एक वर्ग के रूप में अपना कारबार करते रहते हैं, उन पर इस विधेयक की प्रयुक्ति अनुच्छेद १९ (६) में दिये गये मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं होगी । इसके अलावा, ऐसे सब मामलों में अध्यक्ष ने कभी भी किसी विधेयक को नियमविरुद्ध ठहराने का दायित्व नहीं किया । वह तो यह बात सदन के ऊपर छोड़ देता है । इस मामले में भी सदन ही निर्णय करे ; यदि वह यह समझता है कि इस विधेयक से संविधान में दिये गये किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उसे हटा सकता है । परन्तु सदन को केवल यही बात नहीं देखनी चाहिये कि इससे संविधान द्वारा प्रत्याभूत किसी मूल अधिकार का वैध तथा पारिभाषिक उल्लंघन होता है या नहीं, बल्कि उसे तो स्वतंत्र रूप से यह विचार करना चाहिये कि यह विधेयक, पूर्ण रूप से, देश के हितों में है या नहीं । मैं यह बात सदन पर ही छोड़ता हूं । इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, १६ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।